श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ शासन

श्री रामविचार नेताम
माननीय मंत्री, आदिमजाति विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

आदिम जाति विकास विभाग

शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक
सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय
उद्घाटन
समारोह

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

आदिम जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

भार साधक मंत्री - माननीय श्री रामविचार नेताम

*****

मंत्रालय

प्रमुख सचिव - श्री सोनमणि बोरा

संयुक्त सचिव - श्री बी. के. राजपूत

*****

संचालनालय

आयुक्त - डॉ. सारांश मित्तर

*****

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) रायपुर

संचालक - श्रीमती हिना अनिमेष नेताम

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग - एक	
1.	छत्तीसगढ़ में जिलेवार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	1
2.	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	2-4
3.	विभाग की संरचना	5
4.	विभाग का परिचय	6-7
5.	विभाग का दायित्व एवं कार्य	8
6.	विभाग के अधीन गठित आयोग/मण्डल एवं अन्य समितियाँ	9-13
7.	आदिवासी विकास प्राधिकरण	14-18
8.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण	19-20
	भाग - दो	
9.	विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की जानकारी	21-24
10.	विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रमों की जानकारी	25
	भाग - तीन	
11.	विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएं - ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण, छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, गुरूकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास	26-30
12.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	31-38
13.	विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय	39-41
14.	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	42
15.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान योजना	43-46
	भाग - चार	
16.	क्रीड़ा परिसर	47-49
17.	रोजगार मूलक योजनाएं - बीएससी नर्सिंग पाठयक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा, हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना	50
18.	आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएँ	51

	भाग - पाँच	
19.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम 2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना	52-65
20.	सम्मान एवं पुरस्कार	66
	भाग - छः	
21.	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	67-69
22.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन, अनुसूचित जनजाति उपयोजना	70-73
	भाग - सात	
23.	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	74-78
24.	छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस -राज्योत्सव 2025 में सहभागिता	79-80
	भाग - आठ	
25.	फ्लैगशिप योजनाएं - राजीव युवा उत्थान योजनाः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, युवा कॅरियर निर्माण योजनांतर्गत प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना, संघ लाक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, आर्यभटट विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना	81-91
	भाग - नौ	
26.	नवाचार/महत्वपूर्ण कार्य	92-127
	भाग - दस	
27.	सारांश	128-129

भाग - एक

छत्तीसगढ का मानचित्र

अध्याय - 1

District wise Total ST Population in Chhattisgarh

Name	Total ST Population 2011
Chhattisgarh	**7822902**
Koriya	123414
Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	180866
Balrampur	458949
Surajpur	359672
Surguja	482007
Jashpur	530378
Raigarh	443752
Korba	493559
Janjgir - Champa	77809
Sakti	109387
Gourell-Pendra-Marwahi	192073
Bilaspur	233615
Mungeli	72781
Kabeerdham	167043
Rajnandgaon	174731
Khairagarh-Chhuikhadaan-Gandai	50801
Mohala-Manpur-Ambagarh Chouki	179662
Bemetara	37185
Durg	101188
Balod	259043
Balodabazar	148349
Raipur	93010
Gariabandh	215986
Sarangarh-Bilaigarh	80958
Mahasamund	279896
Dhamtari	207633
Uttar Bastar Kanker	414770
Kondagaon	411001
Bastar	520779
Narayanpur	108161
Dakshin Bastar Dantewada	201458
Sukma	208797
Bijapur	204189

Source : National Commission on Population, MoHFW, GoI

❑❑❑❑❑

अध्याय - 2
महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	**राज्य का क्षेत्रफल**		135192 वर्ग कि.मी.
	1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्ग कि.मी.
	1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	91253 वर्ग कि.मी.
	1.3	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत	67.50%
2.	**जनगणना (2011)**		
	2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
	2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
3.	**(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)**		
	3.1	औसत	70.28%
	3.2	पुरुष	80.27%
	3.3	महिला	60.24%
	(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	59.09%
	3.2	पुरुष	69.67%
	3.3	महिला	48.76%
4.	**राजस्व जिला**		28
	4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	16
	4.2	आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	05
	4.3	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले	28
5.	**आदिवासी विकासखंड**		85
6.	**एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना**		19
7.	**माडा पाकेट**		09
8.	**लघु अंचल**		02
9.	**विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास अभिकरण (पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित)**		08

10. विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास प्रकोष्ठ 10

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला (वर्तमान में जिला कोरिया, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला)
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के (वर्तमान में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला) मरवाही, गौरेला–1 एवं गौरेला–2 आदिवासी विकासखण्ड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकासखंड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव (वर्तमान में जिला अम्बागढ़ चौकी–मानपुर–मोहला)
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

❑❑❑❑❑

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1–जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2–कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3–नारायणपुर		
4	कांकेर	4–भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5–दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6–कोन्टा		
7	बीजापुर	7–बीजापुर		
8	गरियाबंद	8–गरियाबंद		
9	बलौदाबाजार		1–बलौदाबाजार	1–धुरीबांधा
10	धमतरी	9–नगरी	2–गंगरेल	
11	महासमुन्द		3–महासमुन्द–1	
			4–महासमुन्द–2	
12	बालोद	10–डौण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11–अं.चौकी		
14	मोहलामानपुर–अं.चौकी			
15	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई		5–नचनियां	2–बछेराभाटा
16	कबीरधाम		6–कवर्धा	
17	सरगुजा	12–अंबिकापुर		
18	सूरजपुर	13–सूरजपुर		
19	बलरामपुर	14–पाल (रामानुजगंज)		
20	कोरिया	15–बैकुण्ठपुर		
21	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर			
22	कोरबा	16–कोरबा		
23	बिलासपुर			
24	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	17–गौरेला		
25	मुंगेली			
26	बिलासपुर			
27	सक्ती		7–रूगजा	माडा पाकेट रुगजा पूर्ववर्ती जिला जांजगीर–चापा में सम्मिलित था, जो वर्तमान में नवगठित जिला सक्ती में सम्मिलित है।
28	रायगढ़	18–धरमजयगढ़	8–सारंगढ़	
			9–गोपालपुर	
29	जशपुर	19–जशपुरनगर		

❑❑❑❑❑

अध्याय - 3
विभाग की संरचना

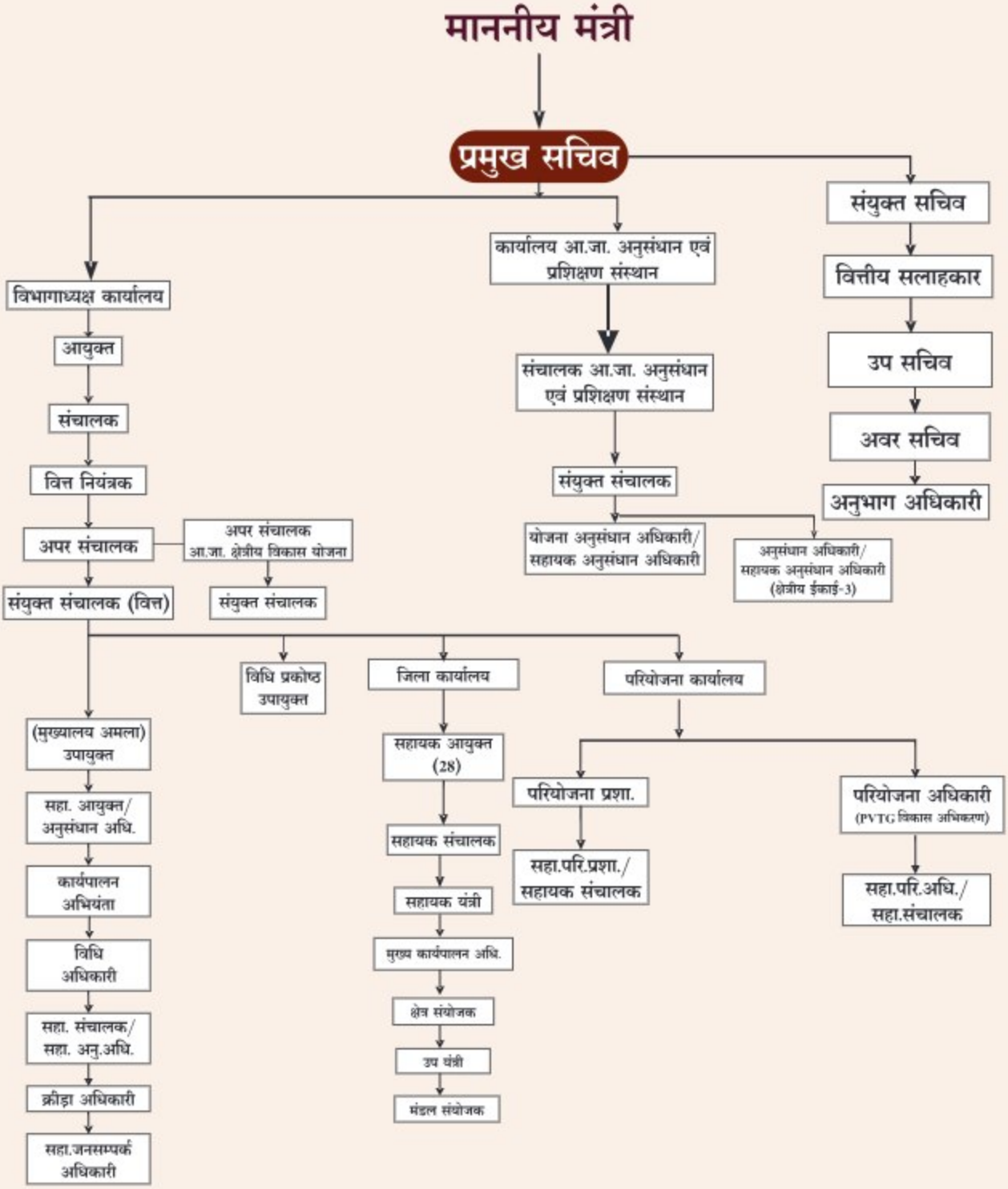

❑❑❑❑❑

अध्याय - 4
विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद–46, में सौंपे गए कर्तव्य ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए'' संविधान के अनुच्छेद–244 एवं संविधान के अनुच्छेद–275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद–164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2022/एक(1) अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नाम में संशोधन कर आदिम जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगी हैं। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने हैं।

प्रशासनिक संरचना :-

छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर भारसाधक सचिव का पद सृजित है। मंत्रालय स्तर पर भारसाधक सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति समुदाय के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति वर्ग के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते हैं। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड घोषित हैं। इन विकासखण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 विशेष रूप से कमजोर जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 5
विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन का अध्ययन तथा नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैज्ञानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 6
विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियां

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते हैं। साथ ही इस परिषद का सचिव, भारसाधक सचिव/सचिव छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए।

छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक/एफ–20–2/2009/25–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08 नवंबर, 2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.07.2019 एवं 22.07.2022 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया था। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है :–

1.	श्री विष्णुदेव साय, माननीय मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन	अध्यक्ष
2.	श्री रामविचार नेताम, मान. मत्री आ.जा. वि. विभाग तथा अनु.जा.वि.विभाग, पि.व.एवं अ.सं.वि. विभाग	उपाध्यक्ष
3.	श्री केदार कश्यप, मान. मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4.	श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, विधायक, भरतपुर–सोनहट	सदस्य
5.	श्रीमती शंकुतला सिंह पोर्ते, विधायक, प्रतापपुर	सदस्य
6.	श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, विधायक, सामरी	सदस्य
7.	श्री रामकुमार टोप्पो, विधायक, सीतापुर	सदस्य
8.	श्रीमती रायमुनी भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
9.	श्रीमती गोमती साय, विधायक, पत्थलगांव	सदस्य
10.	श्री प्रणव कुमार मरपची, विधायक, मरवाही	सदस्य
11.	श्री विक्रम उसेण्डी, विधायक, अंतागढ़	सदस्य
12.	श्री आशाराम नेताम, विधायक, कांकेर	सदस्य
13.	श्री नीलकंठ टेकाम, विधायक, केशकाल	सदस्य
14.	सुश्री लता उसेण्डी, विधायक, कोण्डागांव	सदस्य

15.	श्री विनायक गोयल विधायक, चित्रकोट	सदस्य
16.	श्री चैतराम अटामी, विधायक, दंतेवाड़ा	सदस्य
17.	श्री रामनाथ कश्यप, प्रांत संगठन मंत्री (छ.ग.) वनवासी विकास समिति, आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे, शबरी कन्या छात्रावास, रोहणीपुरम रायपुर	सदस्य
18.	श्री रघुराज सिंह उईके पिता स्व. कौशल सिंह, ग्राम मुख्य बस्ती सिरली, हरदीबाजार, पाली, जिला कोरबा (छ.ग.)	सदस्य
19.	श्री वेदप्रकाश भगत, पिता स्व. चैनू राम भगत, ग्राम पण्डरीपानी, विकासखंण्ड फरसाबहार,जिला जशपुर (छ.ग.)	सदस्य
20.	श्री कृष्ण कुमार वैष्णव, वनवासी विकास समिति, आयुर्वेदिक कॉलेज के पीछे, शबरी कन्या छात्रावास, रोहणीपुरम रायपुर	सदस्य
21.	प्रमुख सचिव / सचिव, छ.ग.शासन,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग	सचिव

2– विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे विधान सभा के सदस्य रहेंगे। अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

मान. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में जनजाति सलाहकार परिषद की पहली बैठक दिनांक 11 मार्च 2025

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति

राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधित नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 11.07.2025 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 54 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2025 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की 74 बैठकें आयोजित की गई हैं।

3. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

उददेश्य :- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा छ.ग. राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं उनके हित संवर्धन में विधि अनुकूल संरक्षण तथा विकास के कार्यो में निगरानी एवं सुधारात्मक कार्य हेतु सजग हितप्रहरी के रूप में पहल की जा रही है।

आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल :- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 यथासंशोधित अधिनियम–2020 में प्रावधान है कि आयोग में छः अशासकीय सदस्य जो अनुसूचित जनातियों से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों, होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन), एक उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमेन) तथा चार सदस्य होगें। इनका कार्यकाल राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक रहेगा।

आयोग के कार्य एवं शक्तियां :- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयेाग अधिनियम–1995 यथासंसोधित अधिनियम–2020 की धारा 9(1)(2) में आयोग का कृत्य एवं धारा 10 में आयोग की शक्तियां समाहित हैं, जो इस प्रकार है –

आयोग का यह कृत्य होगा कि वह -

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करे।

(ख) किन्ही विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान(अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथासमय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार हैं, सुधार हेतु सुझाव दें।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौपें जायें।

आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी। तथापि यदि सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है, वहां वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियाँ :- आयोग की धारा–9 की उपधारा–1 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते हुए और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी अर्थात –

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षण के लिये कमीशन निकालना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जावे।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूपसिंह मण्डावी के अध्यक्षता में गरियाबंद में जिला स्तरीय बैठक दिनांक 27 नवम्बर 2025

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में वित्तीय वर्ष में 2023–24 में कुल 2145 प्रकरण विचाराधीन रहे हैं, जिसमें से 162 प्रकरणों का विधिसम्मत निराकरण किया गया है। आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न जातियों क्रमशः भरिया/भारिया, धनुहार (धनवार), अगरिया–लोहार, पठारी/पथारी, खड़िया/खरिया, सवर/सवरा, रौतिया, बिंझवार, नगावंशी/नगबसी/नगवंशी/नगवसी/नांगवंसी, खैरवार/खेरवार, कोंध/कोंद, सोनझारी/सोनझरिया, कोड़ा, अमनीत जातियों के मात्रात्मक त्रुटि के निराकरण हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य स्तर पर गठित समिति में माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, आदिम जाति विकास विभाग, अध्यक्ष एवं अन्य विभाग के सचिव सदस्य होते हैं। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, समिति के पदेन सचिव होते हैं। संचालक मण्डल की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 7
आदिवासी विकास प्राधिकरण

आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वर्तमान में तीन प्राधिकरण अस्तित्व में हैं।

1. बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
2. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
3. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :-

छ.ग. शासन के निर्णय अनुसार छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना दिनांक 24.06.2024 द्वारा जनजातीय क्षेत्रो के विकास हेतु प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है।

प्राधिकरण का उद्देश्य निम्नानुसार है :-

(1) बस्तर संभाग के समस्त राजस्व जिलों के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना है।

(2) प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवैधानिक संरक्षण हेतु उपाय सुझाना।

(3) राज्य शासन की जनजाति विकास से संबंधित नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना।

(4) प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति समुदायों की आवश्यकताओं को पहचान कर, राज्य के विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित करवाने की पहल करना।

(5) क्षेत्रीय विकास के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप छोटे–छोटे विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति प्रदान करना।

प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र :-

बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमशः बस्तर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन हैं।

बजट प्रावधान :-

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 7300.00 लाख प्रावधान किया गया है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :-

छ.ग. शासन के निर्णय अनुसार छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना दिनांक 24.06.2024 द्वारा जनजातीय क्षेत्रो के विकास हेतु प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है।

प्राधिकरण का उद्देश्य निम्नानुसार है :-

(1) सरगुजा संभाग के समस्त राजस्व जिलों के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना है।

(2) प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवैधानिक संरक्षण हेतु उपाय सुझाना।

(3) राज्य शासन की जनजाति विकास से संबंधित नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना।

(4) प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति समुदायों की आवश्यकताओं को पहचान कर, राज्य के विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित करवाने की पहल करना।

(5) क्षेत्रीय विकास के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप छोटे–छोटे विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति प्रदान करना।

प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र :-

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमशः–सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर–रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन हैं।

बजट प्रावधान :-

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 5000.00 लाख प्रावधान किया गया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :-

छ.ग. शासन के निर्णय अनुसार छ.ग. राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना दिनांक 24.06.2024 द्वारा जनजातीय क्षेत्रो के विकास हेतु प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है।

प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र :-

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी के अतिरिक्त जिला क्रमशः–गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द,बलौदाबाजार–भाटापारा, सारंगढ़–बिलाईगढ़, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सक्ती के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (यथा–एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र, माडा पॉकेट, लघु अंचल) में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थित पारा–मोहल्ला जहॉ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों सम्मिलित होंगे।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मान. मुख्यमंत्री छ.ग. शासन हैं।

बजट प्रावधान :-

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 4900.00 लाख प्रावधान किया गया है।

प्राधिकरण का उद्देश्य निम्नानुसार है :-

(1) बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत सम्मिलित जिलों के अतिरिक्त शेष आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विकास की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा और अनुश्रवण सुनिश्चित करना है।

(2) प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों के हितों के संवैधानिक संरक्षण हेतु उपाय सुझाना।

(3) राज्य शासन की जनजाति विकास से संबंधित नीतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारात्मक सुझाव देना।

(4) प्राधिकरण क्षेत्र के जनजाति समुदायों की आवश्यकताओं को पहचान कर, राज्य के विकास कार्यक्रमों में सम्मिलित करवाने की पहल करना।

(5) क्षेत्रीय विकास के लिए जन आकांक्षाओं के अनुरूप छोटे–छोटे विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति प्रदान करना।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 8
विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण

छ.ग राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत है। इसके लिए समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है :–

क्र.	जिला	विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	कबीरधाम	बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम
2	मुंगेली	बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली
3	राजनांदगांव	बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव
4	कोरिया	बैगा विकास प्रकोष्ठ – कोरिया
5	बिलासपुर	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – बिलासपुर
6	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर
7	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ – बलरामपुर
8	जशपुर	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – जशपुर
9	कोरबा	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – कोरबा
10	रायगढ़	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – धरमजयगढ़
11	गरियाबंद	कमार विकास अभिकरण – गरियाबंद
12	धमतरी	कमार विकास प्रकोष्ठ – नगरी
13	कांकेर	कमार विकास प्रकोष्ठ – भानुप्रतापपुर
14	महासमुंद	कमार विकास प्रकोष्ठ – महासमुंद
15	नारायणपुर	अबूझमाड़ विकास अभिकरण – नारायणपुर
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	बैगा विकास अभिकरण – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही

छत्तीसगढ़, आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि. के आदेश क्र./एफ–20–05/2013/25–2 दिनांक 14.09.2022 द्वारा विशेष जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर जिला–बिलासपुर के क्षेत्राधिकार का परिसीमन करते हुए नवीन विशेष रूप से कमजोर जनजाति बैगा विकास अभिकरण गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 06 अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ गठित है।

पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :-

राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रूप से कमजोर जनजाति पण्डो एवं भुंजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबंद में भुंजिया विकास अभिकरण का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इसके लिए राज्य आयोजना मद में कुल 150.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

❑❑❑❑❑

भाग - दो

अध्याय - 9
विभागीय बजट

विभागीय बजट (2023-24) मार्च 2024 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	184570.22	140851.96	76.31
2	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	16782.10	12271.61	73.12
	योग :-	**201352.32**	**153123.57**	**76.05**

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2024-25) मार्च 2025 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	206336.07	140835.05	68.26
2	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	15523.64	11496.22	74.06
	योग :-	**221859.71**	**152331.27**	**68.66**

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2025-26) दिसम्बर 2025 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	206057.95	79342.80	38.51
2	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	13852.50	8316.72	60.04
	योग :-	**219910.45**	**87659.52**	**39.86**

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25				वर्ष 2025-26			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आश्रम शाला योजना	12626.00	6899.17	80418	76623	12626.00	12409.58	छात्र/छात्राएं	78791	12626.00	10241.76	छात्र/छात्राएं	76706
2	छात्रावास योजना	10488.00	7164.71	68630	68440	10488.00	10487.98	छात्र/छात्राएं	69131	10488.00	8828.20	छात्र/छात्राएं	68494
3	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1816.29	1234.63	1358	9	1890.00	1555.67	8	8	1790.00	1661.48	8	8 संख्या
4	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	1000.00	870.60	छात्र/छात्राएं	713	1100.00	324.20	छात्र/छात्राएं	743	1100.00	698.59	छात्र/छात्राएं	768
5	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	1000.00	1000.00	20	3	7000.00	7000.00	41	0	5000.00	4485.31	9	3
6	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	5.00	-	-	-	5.00	5.00	व्यक्ति/संस्था	2	5.00	5.00	व्यक्ति/संस्था	2
7	छात्र भोजन सहाय योजना	2238.00	1131.39	19335	19317	2508.00	2444.96	छात्र/छात्राएं	19241	2508.00	1856.10	छात्र/छात्राएं	19596
8	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	143.00	85.80	-	-	157.30	157.30	छात्र/छात्राएं	17534.00	100.00	40.00	छात्र/छात्राएं	-
9	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	2400.00	1800.00	168383	164380	2400.00	2400.00	छात्र/छात्राएं	180363	2400.00	2400.00	छात्र/छात्राएं	176022
10	युवा कॅरियर निर्माण योजना	467.00	336.68	450	450	824.00	232.70	विद्यार्थी	600	924.00	689.35	1064	898
11	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	4336.50	1745.72	4945	4663	6320.00	6155.50	5258	4489.39	7120.00	7025.52	6064	5836
12	आर्यभट्ट वाणिज्य/विज्ञान विकास केन्द्र	2635.00	199.60	छात्राएं	616	300.00	178.00	विद्यार्थी	707	240.00	172.87	1000	790

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023–24			वर्ष 2024–25			वर्ष 2025–26		
		व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम राहत सहायता/पुनर्वास एवं अनुरक्षण अनुदान	816.86	हितग्राही	719	918.02	हितग्राही	690	470.43	हितग्राही	458

टीपः भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राशि रु. 1337.53 लाख, वर्ष 2024-25 हेतु राशि रु. 1687.49 लाख एवं वर्ष 2025-26 हेतु राशि रु. 2114.62 लाख केन्द्रांश एवं अनुपातिक समान राज्यांश राशि विमुक्त की गयी है।

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023–24					वर्ष 2024–25					वर्ष 2025–26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	अनुसूचित जनजाति पो. मै. छात्रवृत्ति	7200.00	7125.00	7200.00	छात्र/छात्राएं	118871.00	11764.58	7000.00	11764.58	छात्र/छात्राएं	113316.00	11000.00	8178.89	10905.19	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	28400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	800.00	0.00	796.50	-	473	800.00	–	–	–	–	800.00	0.00	585.00	-	107

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद

(राशि करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25					वर्ष 2025-26				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1) 5480	22100.00	15676.77	4988.00	951	480	22100.00	14506.46	1906.43	पूर्व वर्ष में स्वीकृत कार्य की शेष राशि		20637.26	-	-	-	-

आदिवासी उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2023–24	1845.70	1408.51
2	2024–25	2063.36	1408.35
3	2025–26 (माह दिसम्बर 2025 की स्थिति में)	2062.57	793.42
योग :-		**5969.63**	**3610.28**

अध्याय - 10

छात्रावास/आश्रम

विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2025-26 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री.मैट्रिक	पो.मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जनजाति	1326	318	1173	**2817**	**168904**
योग		**1326**	**318**	**1173**	**2817**	**168904**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास शैक्षणिक सत्र 2025-26

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री मैट्रिक	896	430	**1326**	44377	24864	**69241**
2	पोस्ट मैट्रिक	159	159	**318**	9355	9980	**19335**
योग		**1055**	**589**	**1644**	**53732**	**34844**	**88576**

अनुसूचित जनजाति आश्रम शैक्षणिक सत्र 2025-26

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	98	106	**204**	8205	9695	**17900**
2	प्राथमिक आश्रम	616	353	**969**	39496	22932	**62428**
योग		**714**	**459**	**1173**	**47701**	**32627**	**80328**

❑❑❑❑❑

भाग - तीन

आदिवासी कन्या आश्रम धनोरा
विद्या दान

अध्याय - 11
विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएँ

ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण :-

अनुसूचित जनजाति प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015–16 से ऑन लाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1500/– प्रदान किया जाता है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑन लाईन द्वारा किया जाता है। शिष्यवृत्ति की राशि राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित किया जाता है। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2025–26 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 25239.70 लाख प्रावधानित है।

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन
1	2	3
1	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	10488.00
2	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	12626.00
3	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.ज.जा (307)	1931.00
4	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.जा. (307)	167.20
5	विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम शिष्यवृत्ति (7015)	27.50
	योग	**25239.70**

छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2025–26 में इस हेतु 100.00 लाख प्रावधानित है।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) विशेष सेवायें हेतु योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ष 2025–26 में इस योजना का प्रावधान राशि रूपये 155.00 लाख है।

छात्र भोजन सहाय योजना :-

भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 700/– में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 1200/– प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है।

योजना के तहत् वर्ष 2025–26 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वर्ग	प्रावधान
अनुसूचित जनजाति	2508.00
योग -	**2508.00**

खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रांरभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति वर्ग छात्रावास–आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ–साथ विशिष्ठ संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/– के दर से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। स्टेट पुल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/– से 30/– का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अतंर्गत वर्ष 2025–26 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वर्ग	प्रावधान
अनुसूचित जनजाति	2400.00
योग -	**2400.00**

शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण :-

बस्तर संभाग अतंर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरो के संबंध में ज्ञानार्जनात्मक अभिरूचियों के विकास हेतु बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले से विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत कक्षा 9वीं से 12वीं के अधिकतम 50 छात्र–छात्राओं का चयन किया जा कर शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। वर्ष 2025–26 में उक्त योजना हेतु 30.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2025–26 में शासन द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत बस्तर संभाग के साथ सरगुजा संभाग को भी सम्मिलित किया गया है।

आदर्श शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कुनकुरी

आदर्श शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कुनकुरी

आदर्श शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कुनकुरी

आदर्श शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास कुनकुरी

गुरूकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास

अविभाजित म.प्र. में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जैसे अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु सक्षम बनाकर उच्च सेवाओं में नियोजन के लिए तैयार कर एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना है। इस उद्देश्य से निर्मित इस योजनान्तर्गत गुरूकुल विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय तथा कन्या शिक्षा परिसर योजना प्रारंभ की गई थी। योजनान्तर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर उत्थान एवं विशेषज्ञ शिक्षकों से अध्यापन कराया जाना है, साथ ही शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाना। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, संतुलित आहार आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक अध्यापन कराया जाता है, साथ ही विशेष कोचिंग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करायी जाती है।

वर्ष 2014–15 तक गुरूकुल उ.मा.विद्यालय, आदर्श उ.मा. विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश कं/एफ 1/2/2015/1/एक, दिनांक 10.03.2015 द्वारा समस्त अमले सहित विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं का स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश उपरांत उक्त विशिष्ट संस्थानों में से विद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा तथा आवासीय भाग (छात्रावास) का संचालन आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गुरुकुल उ.मा.विद्यालय हेतु छात्रावास :- वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरूकुल आदर्श विद्यालय पेण्ड्रारोड़ बिलासपुर संचालित है। जिसमें 245 स्वीकृत सीटों के विरूद्ध 216 प्रवेशित सीटें हैं।

आदर्श उ.मा. विद्यालय हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उ.मा. विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है, उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीटें स्वीकृत है। जिसमें शिक्षण सत्र 2025–26 में कुल 1391 बालक अध्ययनरत् है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला का नाम	कन्या शिक्षा परिसर का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	कोंण्डागांव	आदर्श उच्च.मा.वि. फरसगांव जिला कोंण्डागांव	2010–11	315	315
2	दंतेवाड़ा	आदर्श उच्च.मा.वि. दंतेवाडा जिला दंतेवाड़ा	2010–11	245	180
3	जशपुर	आदर्श उच्च.मा.वि. जशपुर जिला जशपुर	2010–11	245	221
4	राजनांदगांव	आदर्श उच्च.मा.वि. डोण्डी जिला राजनांदगांव	2010–11	245	175
5	कोरिया	आदर्श उच्च.मा.वि. बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	2010–11	245	145
6	नारायणपुर	आदर्श उच्च.मा.वि. नारायणपुर जिला नारायणपुर	2013–14	500	355
योग				**1795**	**1391**

कन्या शिक्षा परिसर हेतु छात्रावास :-

विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 14 कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 12वीं तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालयों में कुल 4450 सीटें स्वीकृत है। जिसमें शिक्षण सत्र 2025–26 में कुल 3865 बालक अध्ययनरत् है। कन्या शिक्षा परिसरों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला का नाम	कन्या शिक्षा परिसर का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	सरगुजा	कन्या शिक्षा परिसर, अंबिकापुर	2010–11	245	223
2	बलरामपुर	कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर	2010–11	245	245
3	मोहला–मानपुर	कन्या शिक्षा परिसर, चौकी	2010–11	245	245
4	धमतरी	कन्या शिक्षा परिसर, दुगली	2010–11	345	342
5	दंतेवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर, पातररास	2011–12	450	378
6		कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा	2014–15	500	298
7	सुकमा	कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा	2011–12	450	450
8	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर, परचनपाल	2010–11	245	245
9		कन्या शिक्षा परिसर, भनपुरी	2013–14	245	136
10	सूरजपुर	कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर	2013–14	245	218
11	कबीरधाम	कन्या शिक्षा परिसर, भोरमदेव	2013–14	245	245
12	बीजापुर	कन्या शिक्षा पिरसर, बीजापुर	2013–14	245	196
13	कोण्डागांव	कन्या शिक्षा परिसर, बहीगांव	2013–14	245	245
14	नारायणपुर	कन्या शिक्षा परिसर, नारायणपुर	2014–15	500	399
योग				**4450**	**3865**

❑❑❑❑❑

अध्याय - 12
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के प्रवर्तित योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा प्रदेश के 26 जिलों में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना तथा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। प्रदेश में बस्तर संभाग में 29, सरगुजा संभाग में 24 तथा रायपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर संभाग में 22 एकलव्य विद्यालय संचालित है इसमें से प्रदेश के नक्सल प्रभावित 07 जिलों में कुल 26 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है जिसमें 10 कन्या तथा 06 बालक एवं 59 संयुक्त इस प्रकार कुल 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2025–26 में एकलव्य विद्यालयों में कुल 28860 सीट स्वीकृत है, जिसमें 27359 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली द्वाराएकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु स्वीकृत पद-संरचना

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/NESTS/Admin/GBM/31/2020-21 दिनांक 02.06.2023 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु प्रति विद्यालय 52 पदों की पदसंरचना जारी किया गया है, जिसमें प्राचार्य–1, उप प्राचार्य–1, पीजीटी–12, टीजीटी–17 एवं गैर शिक्षकीय कर्मचारी के 21 पद शामिल है। वर्तमान में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें NESTS द्वारा ESSE-2023 के माध्यम से 26–प्राचार्य, 07–उप प्राचार्य, 432–पीजीटी, 1020–टीजीटी एवं 435 गैर शिक्षकीय पदो पर नियमित नियुक्त की गई है। शेष रिक्त पदो की पूर्ति हेतु NESTS नई दिल्ली द्वारा ESSE-2025 के माध्यम से नियमित भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों की वर्षवार जानकारी

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2025–26	75	28860	27359
2024–25	75	25860	25074
2023–24	74	22860	22291

शिक्षण सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षावार जानकारी

(दिनांक 30.11.2025 की स्थिति में)

कक्षा	स्वीकृत सीट			प्रवेशित सीट			रिक्त सीट		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
6वीं	2130	2370	**4500**	2113	2348	**4461**	17	22	**39**
7वीं	2130	2370	**4500**	2105	2363	**4468**	25	7	**32**
8वीं	2100	2340	**4440**	2088	2332	**4420**	12	8	**20**
9वीं	2070	2310	**4380**	2038	2294	**4332**	32	16	**48**
10वीं	2010	2250	**4260**	1843	2176	**4019**	167	74	**241**
11वीं	2010	2250	**4260**	1605	1956	**3561**	405	294	**699**
12वीं	1380	1140	**2520**	1073	1025	**2098**	307	115	**422**
योग :-	**18830**	**15030**	**28860**	**12865**	**14494**	**27359**	**965**	**536**	**1501**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवपुर बतौली, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम

वर्ष	कक्षा 10वीं		कक्षा 12वीं	
	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत
2024–25	3929	88.93%	1263	72.13%
2023–24	2353	98.88%	1285	75.87%
2022–23	1399	93.14%	855	64.58%

विद्यालय संचालन हेतु राशि का प्रावधान

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली के पत्र NESTS/Finance/EMRS SocietiesFinance/160/2021-22 दिनांक 01.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन किए जाने के लिये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष राशि रूपये 1,47,062/– के मान से पात्रता निर्धारित की गई है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है :–

S. No.	Component	Maximum permissible Annual Expenditure per student (w.e.f. 01.04.2024)	Maximum permissible Annual Expenditure per student (w.e.f. 01.04.2025)	Remarks
1	Staff Salary: i. Salary to staff including NPS Share ii. Other payments to staff (TA, TTA, Medical, LTC, Retirement dues etc & other salary related payments)	73,879 1,541	77,572 1,619	This includes the salary of staff (teaching/non-teaching) including allowances and reimbursement to staff. Salary on contractual staff/guest faculty appointed against sanctioned posts
	Sub-total	**75,420**	**79,191**	
2	Direct expenditure on students	33,305	34,971	Includes expenditure towards mess expenditure, uniform, text book, Daily used and Toilet Items, Medical expenses, CBSE Fees, School Bag etc.
3	a) Operational Expenditure and Co-Curricular Activities b) Maintenance & Repair of Building.	18,732 7,000	20,017 7,000	Includes expenses towards: a. Water and Electricity b. Misc. (Postage, Telephone, Office Stationery, Rep air of Furniture, Equipment, TA/DA on official duties etc.) c. Maintenance of Computer Labs d. Maintenance and Repair of Buildings e. Conduct of Admission Test f. Contigencies etc.
	Sub- total	**25,732**	**27,017**	
4	Administrative Expense of State Society	2,675	2,809	The Society will be eligible for administrative expenses, as per their requirement not more than 1.91% of maximum permissible annual expenditure per student.
5	Capital Expenditure	2,927	3,074	This amount shall be made available to EMRS through State EMRS Socities by NESTS on submission of detailed plan & GAP analysis by the State Society.
	Grand Total	**1,40,059**	**1,47,062**	

राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन, देश में द्वितीय स्थान

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की चौथी राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 11 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक ओड़िशा राज्य के सुंदरगढ़ में सम्पन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग 7000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विद्यालय, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता से उत्कृष्ट विद्यार्थियों का चयन कर 466 प्रतिभागियों सहित कुल 516 सदस्यीय दल, राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सम्मिलित हुये।

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रदेश के एकलव्य विद्यालयों के प्रतिभागियों द्वारा 55 स्वर्ण, 43 रजत एवं 64 कांस्य पदकों के साथ कुल 162 पदक प्राप्त कर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा स्वीमिंग में 10 स्वर्ण, 09 रजत व 07 कांस्य, कुश्ती एवं एथलेटिक्स में 07–07 स्वर्ण, ताईक्वांडो एवं तीरंदाजी में 05–05 स्वर्ण, जूडो एवं बैडमिंटन में 04–04 स्वर्ण प्राप्त कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया गया।

ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री मोहन चरण मांझी एवं मा. केन्द्रीय मंत्री,
श्री जुएल ओराम प्रदेश के प्रतिभागियों को ट्राफी प्रदान करते हुये

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चों का राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में देश में द्वितीय स्थान प्राप्त कर रायपुर आने पर इन्हें शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भ्रमण कराया गया

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 27300 से अधिक विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर अध्ययनरत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बेहतर शिक्षा के साथ–साथ, विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दिया जाता है। इसी का परिणाम है कि आज यहां के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के साथ–साथ पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को प्राप्त पदक का विवरण :-

क्र.	राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त स्थान	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कांस्य पदक	कुल पदक
1	द्वितीय	55	43	64	162

EMRS 4th National Sports Meet Odisha 2025-26 Medal Table of Chhattisgarh

Sr. No.	Event	Gold	Silver	Bronze
1	Yoga	5	2	2
2	Table tennis	0	1	1
3	Badminton	4	1	3
4	Chess	3	3	2
5	Swimming	10	9	7
6	Taikwando	5	3	5
7	Judo	4	4	9
8	Boxing	1	2	8
9	Wrestling	7	5	7
10	Weight lifiting	2	3	5
11	Tennis	0	3	4
12	Archery	5	2	4
13	Hockey	0	0	1
14	Kabaddi	0	0	1
15	Kho-Kho	1	0	0
16	Athletics	8	5	5
17	Basketball	0	0	0
18	Football	0	0	0
19	Handball	0	0	0
20	Volleyball	0	0	0
	Total	**55**	**43**	**64**

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन का विवरण

क्रमांक	शिक्षण सत्र	परीक्षा का वर्ष	परीक्षा का नाम	चयनित विद्यार्थियों की संख्या
1	2024–25	2023–24	JEE	03
2			NEET	05
3	2025–26	2024–25	JEE	03
			NEET	01

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 6वीं राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव ''उद्भव 2025''

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 6वीं राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव ''उद्भव 2025'' का आयोजन दिनांक 03.12.2025 से 05.12.2025 तक के. एल. विश्वविद्यालय, वड्डेश्वरम, ताड़ेपल्ली, जिला–गुंटूर, आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। जिसमें प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में 95 प्रतिभागियों नें भाग लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतिभागी का नाम	प्राप्त स्थान	विद्यालय का नाम
1	ट्राईबल पेंटिंग (जुनियर)	नव्या कुमारी कंवर	प्रथम	EMRS पलाड़ीखुर्द, जिला–सक्ती
2	विजुअल आर्ट (3डी)	निहारीका नाग	प्रथम	EMRS शंकरगढ़, जिला–बलरामपुर
3	काव्यपाठ (जुनियर)	प्रज्ञा ज्योति	द्वितीय	EMRS छुरीकला, जिला–कोरबा
4	विजुअल आर्ट क्राफ्ट	नैना कश्यप	तृतीय	EMRS गीदम, जिला–दंतेवाड़ा
5	एक्सटेंपोर हिन्दी (सीनियर)	तपेश्वर साय	तृतीय	EMRS घोलेंग, जिला–जशपुर
6	फोक वोकल सोलो	ओमेश अरमो	तृतीय	EMRS नेवसा, जिला–गौ.पे.म.
7	वोकल म्यूजिक–ट्राईबल फॉक ग्रुप सांग (सीनियर)	न्यासा टोप्पो सुरूचि कश्यप श्वेता पैंकरा अंकिता पैंकरा	तृतीय	EMRS सन्ना, जिला–जशपुर
8	टीचर इंवेट–आर्ट इंटिग्रेटेड	ए.पी.राठौर	तृतीय	EMRS शिवप्रसादनगर, जिला–सूरजपुर

EMRS Sukma Chhattisgarh
Activity: एक पेड़ माँ के नाम

❑❑❑❑❑

अध्याय - 13
विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं। ये जनजातियाँ बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा हैं। इन जनजातियों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम होने के कारण स्वास्थ्य, रोजगार जागरूकता की कमी होने के कारण इनकी स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में काफी दयनीय है। विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालयों के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में शामिल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास हेतु विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संरक्षण सहविकास (CCD) की कार्ययोजना (के.क्षे.यो.) वर्ष 2012–17 अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ–20–18/2013/25–2/आजक दिनांक 03/10/2013 एवं 30/03/2017 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय हेतु पदों की संरचना स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 09 जिलों में 10 विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में कक्षा–पहली से कक्षा–दसवीं तक अध्यापन की व्यवस्था की गई है। शिक्षण सत्र 2025–26 में विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों में कुल 1820 सीट स्वीकृत है जिसमें से कुल 1775 विशेष पिछड़ी समुदाय के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभागीय राज्य बजट में उक्त विद्यालयों सुचारू रूप से संचालन हेतु राशि रूपये 1300 लाख का प्रावधान किया गया है।

शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रदेश अंतर्गत सचांलित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	जिला	विकास खंड	विद्यालय संचालन का स्थान	अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी										योग
				प्राथमिक स्तर					माध्यमिक स्तर					
				1 ली	2 री	3 री	4 थी	5 वीं	6 वीं	7 वीं	8 वीं	9 वीं	10 वीं	
1	धमतरी	नगरी	कमार आवासीय विद्यालय मुकुंदपुर	11	20	19	20	0	20	19	19	17	14	159
2	सरगुजा	अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय घंघरी	20	19	20	20	0	20	20	19	20	16	174
3	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार आवासीय विद्यालय केसोडोर	20	20	20	20	0	20	20	20	20	0	160
4	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	भरतपुर	बैगा आवासीय विद्यालय नौढ़िया	20	20	20	20	0	20	20	19	17	0	156
5	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	198
6		बोड़ला	बैगा आवासीय विद्यालय चौरा	20	20	20	20	20	20	22	21	18	19	200
7	जशपुर	बगीचा	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय रूपसेरा	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	180
8	बलरामपुर	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	15	20	20	20	20	20	20	20	20	17	192
9	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	गौरेला	बैगा आवासीय विद्यालय धनौली	17	20	20	16	32	20	20	20	27	5	197
10	नारायणपुर	ओरछा	अबुझमाड़िया आवासीय विद्यालय ओरछा	20	20	20	20	0	19	20	20	20	0	159
				183	**199**	**199**	**196**	**112**	**199**	**201**	**198**	**199**	**89**	**1775**

विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों से संबंधित जानकारी :-

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	स्वयं के भवन संचालित /निर्माणाधीन
1	धमतरी	नगरी	कमार आवासीय विद्यालय मुकुंदपुर	2012–13	180	संचालित
2	सरगुजा	अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय घंघरी	2012–13	180	संचालित
3	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार आवासीय विद्यालय केसोडोर	2012–13	160	संचालित
4	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	भरतपुर	बैगा आवासीय विद्यालय नौढ़िया	2012–13	160	संचालित
5	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी	2012–13	200	संचालित
6		बोड़ला	बैगा आवासीय विद्यालय चौरा	2014–15	200	संचालित
7	जशपुर	बगीचा	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय रूपसेरा	2014–15	180	संचालित
8	बलरामपुर	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	2014–15	200	संचालित
9	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	गौरेला	बैगा आवासीय विद्यालय धनौली	2014–15	200	संचालित
10	नारायणपुर	ओरछा	अबुझमाड़िया आवासीय विद्यालय ओरछा	2016–17	160	निर्माणाधीन
			योग :-		**1820**	

विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम :-

शिक्षण–सत्र 2024–25 में 05 विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय का संचालन कक्षा–दसवीं तक किया जा रहा था। जिसका बोर्ड परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	परीक्षा में शामिल	उत्तीर्ण संख्या	परीक्षा परिणाम प्रतिशत में
1	धमतरी	नगरी	कमार आवासीय विद्यालय मुकुंदपुर	13	11	84.61%
2	कबीरधाम	बोड़ला	बैगा आवासीय विद्यालय चौरा	19	10	52.63%
3	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी	19	19	100%
4	बलरामपुर	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	12	12	100%
5	सरगुजा	अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय घंघरी	18	17	94.4%

❑❑❑❑❑

अध्याय - 14

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले निजी प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए छ.ग. शासन द्वारा पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यालयीन शिक्षा निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

योजनांतर्गत प्रतिवर्ष कुल 200 विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है, जिसमें से 130 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी होते हैं।

अनुसूचित जनजाति की जानकारी

वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
2023–24	1000.00	746
2024–25	1100.00	732
2025–26	1100.00	768

वर्ष	छात्रों का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत	
	10वीं प्रतिशत	12वीं प्रतिशत
2022–23	100.00	94.95
2023–24	97.26	90.24
2024–25	100.00	97.75

❑❑❑❑❑

अध्याय - 15
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान योजना

उद्देश्य :- छत्तीसगढ में अनुसूचित जनजातियों एव अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परंपरागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों कों प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अशासकीय संस्थाओं कों अनुदान सहायता स्वीकृत किया जाता है। इस हेतु विभाग अन्तर्गत "अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 " बनाया गया है।

पात्रता :- अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 के अनुसार।

नियम एवं शर्तें :-

(1) अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 अंतर्गत ये नियम उन समस्त अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता दिये जाने हेतु लागू होंगें जो छत्तीसगढ राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के आर्थिक, परंपरागत मूल सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान संबंधी गतिविधियों में रत हों।

(2) जो तत्समय प्रवृत्त विधि या विधियों के अधीन आवेदन तिथि से 05 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा आवेदन तिथि को जिसका पंजीयन जीवित हों।

(3) संस्था, जिस वर्ग (अनु. जाति या अनु. जनजाति) के लिए कार्य करना चाहती है तो उस वर्ग का न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्य संस्था के प्रबंधकारिणी में होना चाहिए तथा उनमें से न्यूनतम 3 सदस्य संस्था के पदाधिकारी भी होना आवश्यक होगा।

(4) शैक्षणिक उत्थान की गतिविधि संचालित करने वाली वह संस्था –

  (अ) जिसके द्वारा संचालित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियां सक्षम स्तर से मान्यता प्राप्त हो।

  (ब) जिसके द्वारा संचालित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कुल दर्ज संख्या के 60 प्रतिशत होना चाहिए परंतु अनु.जजा. एवं/अथवा अनु जा. के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 60 से अन्यून होनी चाहिए।

  (स) जिसके द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल में कुल दर्ज संख्या का 50 प्रतिशत अनु. जजा. एवं/अथवा अनु.जा. के विद्यार्थी होना चाहिए परंतु अनु. जजा. एवं/अथवा अनु. जा. के विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक कक्षा में 50 से अन्यून होनी चाहिए।

  (द) छात्रावास एवं आश्रम में कुल दर्ज विद्यार्थियों का 90 प्रतिशत अनु. जजा एवं/अनु.जाति का हो।

(5) जो आवेदित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को स्वयं के व्यय से पिछले तीन वर्षो से सफलता पूर्वक संचालित कर रही हो परंतु पूर्व से अनुदान सहायता प्राप्त संस्था को प्रवृत्ति के विस्तार एवं/अथवा नवीन प्रवृत्तियां हेतु शासन को यह संतोष होने पर कि संस्था द्वारा पूर्व प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को सफलता के साथ संचालित किया जा रहा है और उसी भांति विस्तारित प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों को एवं/अथवा नई प्रवृत्ति संचालित करने हेंतु संस्था सक्षम है, इस नियम कंडिका के उपबंध किये जा सकेंगे।

संचालित प्रवृत्तियाँ :-

राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची (अनुसूचित जनजाति) - मांग संख्या 41

क्र.	समिति का नाम	जिला
1	सनातन संत समाज गहिरा सामरवार जशपुर	बलरामपुर, रायगढ, जशपुर
2	म.प्र. वनवासी सेवा मंडल मंडला	सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, बिलासपुर, जशपुर, कबीरधाम, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही
3	सर्वोदय समिति	सूरजपुर
4	दीनदयाल वनवासी सेवा समिति मुंगेली बिलासपुर	मुंगेली
5	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम	जशपुर
6	रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर	नारायणपुर
7	माता रुक्मिणी सेवा संस्थान डिमरापाल	बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाडा, सुकमा, बीजापुर
8	महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण	बस्तर

टीप :- विभाग द्वाराअनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु कार्य कर रहे उक्त 08 संस्थाओं द्वारा 06 प्रकार (छात्रावास, बालवाडी, औषधालय, उचित मूल्य की दुकान, अस्पृस्यता निवारण केन्द्र एवं आरोग्य केन्द्र) के 73 प्रवृत्तियों का संचालन हेतु अशासकीय संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

बजटीय स्थिति 2025-26 :-

(राशि रु. लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2025-26			
		बजट प्रावधान	जारी राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1790.00	1661.48	नियमित 08 संस्था	नियमित 08 संस्था

भारत सरकारए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अशासकीय संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान'' योजना संचालित किया जा रहा है, जिसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। समर्पित अशासकीय संस्थाओं (एनजीओ) के साथ एक भागीदारी और सहयोगी तंत्र विकसित करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका आदि के क्षेत्र में कार्य कर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना योजना का मूल उद्देश्य है।

भारत सरकार के द्वारा योजना अंतर्गत जारी दिशा–निर्देश दिनांक 27.01.2023 के अनुसार एनजीओ पोर्टल पर अशासकीय संस्थाओं (एनजीओ) से प्राप्त ऑनलाईन प्रस्ताव राज्य शासन के द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2025–26 में नवीनीकरण के निम्नानुसार 04 संस्थाओं के 08 प्रवृत्तियों का प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है :–

क्र.	संस्था का नाम	संचालित प्रवृत्ति	संचालित जिला
1	नव अभिलाषा शिक्षण संस्थान	आवासीय विद्यालय	राजनांदगांव
2	विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ सोशल हेल्थ, वेलफेयर एंड सर्विस	मां शारदा विद्या मंदिर ओरछा	नारायणपुर
3	अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम	मोबाइल डिस्पेंशरी / मल्टी सर्विस मोबाइल युनिट	जशपुर (छतौरी)
		गैर आवासीय विद्यालय	जशपुर
		छात्रावास	जशपुर (गुतकिया)
		छात्रावास	जशपुर (खेदर,)
		आवासीय विद्यालय	जशपुर (छतौरी)
4	गौमुखी सेवा धाम	आवासीय विद्यालय	कोरबा

कल्याण आश्रम

कल्याण आश्रम बाल मंदिर जशपुर

भाग - चार

अध्याय - 16
क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 17 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1700 सीट स्वीकृत हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध हैं। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत हैं।

क्रीड़ा परिसर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम	मुख्य खेल विधाएं				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गरियाबंद	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, गरियाबंद जिला गरियाबंद	नेटबॉल	हॉकी	व्हालीबॉल	बास्केटबाल	एथलेटिक्स
2	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, गुरुकुल विद्यालय पेण्ड्रारोड जिला गौरेला	फुटबॉल	जिमनास्टिक	तीरंदाजी	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
3	रायगढ़	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	हॉकी	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	नेटबॉल	एथलेटिक्स
4	बालोद	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, डौण्डी जिला बालोद	फुटबॉल	कबड्डी	थ्रोबॉल	तीरंदाजी	एथलेटिक्स
5	राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	बास्केटबॉल	खो–खो	एथलेटिक्स
6	सरगुजा	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, अंबिकापुर जिला सरगुजा	व्हालीबॉल	हॉकी	हैण्डबॉल	तैराकी	एथलेटिक्स
7	बलरामपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, वाड्रफनगरजिला बलरामपुर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो–खो	टेबल टेनिस	एथलेटिक्स
8		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीडा परिसर, बलरामपुर जिला बलरामपुर	कबड्डी	खो–खो	व्हालीबॉल	फुटबॉल	एथलेटिक्स
9	कोरिया	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	हॉकी	फुटबॉल	साफ्टबॉल	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
10	जशपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, जशपुर जिला जशपुर	हॉकी	खो–खो	टेबल टेनिस	फुटबॉल	एथलेटिक्स
11	जशपुर	अनुसूचित जनजाति कन्याक्रीड़ा परिसर, जशपुर जिला जशपुर	खो–खो	हॉकी	फुटबॉल	साफ्टबॉल	एथलेटिक्स
12	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुर जिला बस्तर	तीरंदाजी	कुश्ती	व्हालीबॉल	कबड्डी	एथलेटिक्स
13		अनुसूचित जनजाति कन्याक्रीड़ा परिसर, धरमपुर जिला बस्तर	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	हैण्डबॉल	कुश्ती	एथलेटिक्स
14		अनुसूचित जनजाति कन्याक्रीड़ा परिसर, भनपुरी जिला बस्तर	कबड्डी	हैण्डबॉल	नेटबॉल	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स

15	कांकेर	अनुसूचित जनजाति कन्याक्रीड़ा परिसर, कांकेर जिला कांकेर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो–खो	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
16		अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, नरहरपुर, जिला कांकेर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो–खो	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
17	नारायणपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, नारायणपुर जिला नारायणपुर	फुटबॉल	मलखम्ब	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स

क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएं :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक/कन्या विद्यार्थी आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। प्रत्येक बालक/कन्या को प्रतिमाह रुपये 1500 शिष्यवृत्ति एवं रुपये 500 पोषण आहार हेतु, इस प्रकार कुल राशि रुपये 2000 प्रतिमाह दी जाती है।

क्रीड़ा परिसरों में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रुपये 3000 मूल्य की संपूर्ण खेल पोषाक दी जाती है, जिसमें 01 ट्रैक सूट, 01 स्पोर्टस/वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।

खेल उपलब्धि :-

1. दिनांक 10.12.2025 से 12.12.2025 बस्तर ओलंपिक का आयोजन जगदलपुर में किया गया, जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, 4x100 रिले, ऊंची कूद में क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया, इन्हें माननीय केन्द्रीय गृह मंत्रीं श्री अमित शाह जी के कर कमलों से सम्मानित किया गया। कोच स्वर्गीय अजय मूर्ती जिनके मार्गदर्शन में क्रीड़ा परिसर धरमपुरा जगदलपुर के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है।
2. राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जगदलपुर में लंबीकूद मे प्रथम एवं द्वितीय स्थान कांकेर परिसर की छात्राएं है कु. टीना कुंजाम और आरती नेताम है।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 17
रोजगार मूलक योजनाएं

बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना -

यह योजना वर्ष 2009–10 से प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2012–13 में योजना नियम यथा संशोधित संचालित है। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक, छात्रावास एवं मेस शुल्क की राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2025–26 में अब तक अनुसूचित जनजाति वर्ग 192 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

हॉस्पिटीलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण -

छत्तीसगढ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों के लिए हॉस्पिटीलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013–14 (यथा संशोधित) विभाग में संचालित है। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 50 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जो बजट उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है। वर्ष 2025–26 में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्राचार्य, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नालॉजी एंड एप्लाईड न्यूट्रीशन रायपुर के प्रस्तावित 01 डिग्री एवं 03 डिप्लोमा कोर्स में छात्र–छात्राओं प्रवेश प्रदान करने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संस्था में अनुसूचित जनजाति के 5 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 18
आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधित योजनाएँ

देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत हेतु वर्ष 2017–18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू0 1,00000/– रूपये उपलब्ध करायी जाती थी। वर्ष 2021–22 में प्रति देवगुड़ी राशि रूपये 1,00,000/– के स्थान पर अधिकतम राशि रूपये 5,00,000/–प्रति देवगुड़ी शासन स्वीकृति प्रदाय की गई है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि रू. 800.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसके विरूद्ध 107 देवगुड़ी हेतु राशि रूपये 585.00 लाख स्वीकृत की गई है।

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000/– दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2025–26 में राशि रूपये 100.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2025–26 में योजना नियमानुसार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 590 हितग्राहियों के लिए राशि रूपये 59.00 लाख जिलो को आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना वर्ष 2023-24 :-

वित्तीय वर्ष 2023–24 से ''मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना'' आदिवासियों में तीज, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली त्योहारो, उत्सवों, मेला, मड़ई, जात्रा पर्व की परम्परागत संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास, तथा आदिवासियों में पायी जाने वाली विभिन्न पराम्परागत संस्कृति को मूलतः उनके आगामी पीढी को हस्तांतरण तथा विलुप्त होने से बचाने, अभिलेखीकरण करने के उद्देश्य से राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायतों को राशि उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि रूपये 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसे 5633 ग्राम पंचायतों के लिए जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

❑❑❑❑❑

भाग - पाँच

अध्याय - 19

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 संशोधन अधिनियम 2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :–

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए : (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत। (iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
2	मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)	
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)	
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)	
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)	
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ)	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	
14	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक (अधिनियम की धारा 3(1)(ढ़) तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ण)	
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	
21	शत्रुता, घृणा वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प)	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए।) (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। 2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
25	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत
27	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एमआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला विनिश्चय की जाने वाली प्राधिकारी द्वार प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुँचाना (अधिनियम की धार 31(1)(म)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(आ)	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(इ)	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(उ)	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप प्त्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
40	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकात है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीयदंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकात है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii)	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं 16–18/97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित का आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाने पर।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बालत्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों के अतिरिक्त अनुतोष	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :– 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : 2. पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।''

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके

परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2024–25 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जनजाति के कुल 690 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2025–26 में माह नवम्बर 2025 की स्थिति में 458 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 27 जिलों यथा जिला–रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालौद, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं। शेष 6 जिलों में क्रमशः गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मोहला–मानपुर, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़, मनेंन्द्रगढ़, खैरागढ़–छुईखदान में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर–चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ है, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती हैं।

राहत एवं पुनर्वास सहायता :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2025–26 में राशि रू. 1633.25 लाख का आबंटन जिलों को जारी किया गया है।

❑❑❑❑❑

अध्याय - 20
सम्मान / पुरस्कार

सम्मान / पुरस्कार :-

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि . 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2025–26 में जंगो रायतार विद्या केतुल, शिक्षण संस्था दमकसा, पता ग्राम/पोस्ट दमकसा, तहसील/विख. दुर्गकोंदल, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. संस्थापक–श्री शेरसिंह आंचला को पुरस्कृत किया गया है

स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृतिआदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :-

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2025–26 में श्री हिरेश सिन्हा (श्री हिरेश्वर कुमार सिन्हा), ग्राम सिरसिदा, चारामा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. को पुरस्कृत किया गया है।

शहीद वीर नारायण सिह लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदाबाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है। जिला स्तरीय कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 45.00 लाख तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 50.00 लाख का आबंटन उपलब्ध कराया गया है। प्रशासकीय विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.10.2025 अनुसार जनजातीय गौरव दिवस 2025 पी.जी. कॉलेज मैदान, अम्बिकापुर में आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव नृत्य प्रतियेागिता को भी शामिल किया गया है।

❑❑❑❑❑

भाग - छः

अध्याय - 21

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

लक्षित वर्ग के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

अनुसूचित जनजाति वर्ग

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्गो के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं।

उद्देश्य -

अनुसूचित जनजाति वर्ग को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

बैंक प्रवर्तित योजना

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यो को निगम द्वारा आदिवासी स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन हितग्राहियों को बैंको से ऋण दिलाने हेतु किया जाता है। इस योजना में बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/– तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,50,000/– हो, (परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एंव नाबालिग बच्चे से है)।
4. मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल आदि।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग.राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इन वर्गो के विद्यार्थियो के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय निगम की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय निगम की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगम वित्तीय सहायता से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स केरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, एंव शिक्षा ऋण योजना संचालित है।

व्यवसायों की सूची

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय–विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकता जनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप है, आप अपने स्वरूचि व स्थानिय मांग एंव पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय निगम से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अनुसूचित जनजाति का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र)
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 300000/– से अधिक न हो।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो।
5. ट्रेक्टर ट्राली के लिए आवेदक के पास खेतिहर भूमि हो।
6. ट्रेक्टर ट्राली एंव वाहन लेने के इच्छुक आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबधित का पासपोर्ट साइज फोटो।
7. ऋण स्वीकृति की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

ऋण राशि रू. 5,00,000/– तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक तथा ऋण राशि रू. 5,00,000/– से अधिक सभी योजनाओं में ब्याज दर 8% वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों, शिविर आयोजित कर एवं ब्रोशर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहियों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें मान. सांसद, मान. विधायक एंव विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों के तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 6 केन्द्र (पेण्ड्रारोड, अंबिकापुर, नगरी, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोसा जगदलपुर,) है।

प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रू. 1000/– प्रति माह उनकी उपस्थिति के मान से दी जाती है।

प्रशिक्षण ट्रेड

एपैरल, आटोमोटिव, ब्लैक स्मिथ, ड्राइविंग प्रशिक्षण, इत्यादि।

नियोजन

प्रशिक्षण पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को शासकीय/निजी सेवा क्षेत्र में अंत्यावसायी निगम द्वारा नियोजित किया जाता है, साथ ही स्वरोजगार हेतु, इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को निगम की योजना में लाभान्वित किया जाता है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय - प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर–24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 33 जिला मुख्यालय में।

संचालित योजनाओं की प्रगति विवरण वर्ष 2025-26 (अक्टूबर 2025 की स्थिति में)

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	
		ई. संख्या	राशि	ई. संख्या	राशि
01	आदिवासी स्वरोजगार योजना	1000	100.00	594	59.40
02	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	—	—	—	—
	योग :-	**1000**	**100.00**	**594**	**59.40**

❑❑❑❑❑

अध्याय - 22

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी

(वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम अंतर्गत पात्रतानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों (जिसमें अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य शामिल हैं, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र काबिज वन भूमि पर प्रदाय किए जाते हैं। अधिनियम के अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार के प्रकरणों में वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र ग्रामसभा/स्थानीय समुदाय (जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) को प्रदान किए जाते हैं।

राज्य में 30.11.2025 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के 6,53,672 आवेदन/दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 4,25,521 दावे स्वीकृत कर 4,25,425 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता 3,49,461.223 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार (जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) हेतु 52,005 आवेदन/दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48,277 दावे स्वीकृत कर 48,251 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता कुल 17,47,799.331 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है।

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

राज्य सरकार की प्राथमिकता व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता के साथ ही सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं कृषि पूर्व समुदायों/विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के पर्यावास अधिकारों की मान्यता प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 वन अधिकार पत्र संबंधित ग्रामसभाओं (जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) की 19,37,017.806 हेक्टेयर भूमि पर वितरित किए गए हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत वितरित वन अधिकार पत्र के धारकों की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसानों के नाम पर वन अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान/प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 में उल्लेखित नहीं है। जिसके कारण वंशजों को वन अधिकारों के हस्तांतरण में समस्या आ रही थी। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु पहली बार राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु/फौत होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व/वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि संबंधी कार्यवाही हेतु की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया दिनांक 15.07.2024 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसके तहत राज्य में नामांकन, बटवारा, सीमांकन, त्रुटि सुधार, अपील के प्राप्त 13,231 प्रकरणों में से 8,908 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं (जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन की कार्यवाही की जा रही है। माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में से 3113 ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन किया जा चुका है।

पुवर्ती–सिलगेर में 253 आदिवासी हितग्राहियों को मिला वन अधिकार पत्र

पुवर्ती और सिलगेर में वन अधिकार पत्र वितरण शिविर

कार्यक्रम में उपस्थिति

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर शेष 30 जिलो में किया जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़, देश में विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता देने में अग्रणी राज्य है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :–

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :–

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे–कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के वार्षिक बजट में राशि रू. 40800.765 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

❑❑❑❑❑

भाग - सात

अध्याय - 23
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य :-

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :-

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

नृजातीय अध्ययन

राज्य के विभिन्न समुदाय जो अधिसूचित जातियों मे सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। उनके द्वारा समय–समय पर जाति समुदाय को भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु अभ्यावेदन दिये जाते है। उक्त क्रम में राज्य शासन से प्राप्त अनुशंसा के परिपालन में संस्थान द्वारा जाति समुदाय का नृजातीय बिन्दुओं के आधार पर नृजातीय परीक्षण अध्ययन किया जाकर मय अभिमत राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

उक्त क्रम में संस्थान द्वारा राज्य शासन को प्रेषित अध्ययन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

1. संसारी, सनसारी, सन्सारी उरांव को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में।

2. डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में।
3. डोमरा को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में।

भाषा-बोली संरक्षण एवं प्रसार

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश के तारतम्य में जनजातीय बोलियों के संरक्षण एवं उसके प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप (AI App) को विकसित किये जाने हेतु प्रथम चरण में संस्थान को गोंड़ी भाषा पर कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त तारतम्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप तैयार किये जाने हेतु संस्थान द्वारा हिन्दी से गोंड़ी के लगभग रु. 1.09 लाख वाक्यों के अनुवाद कार्य किये गये है।

प्रकाशन

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर में जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय विशेष कर विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय की जीवनशैली यथा, जनजातीय परिचय, जीवन संस्कार, आवास एवं उपकरण, शिकार उपकरण, वस्त्र–आभूषण, कृषि पद्धति, जनजातीय नृत्य, वाद्ययंत्र, धार्मिक जीवन, तीज–त्यौहार, परम्परागत तकनीक, विशिष्ट परम्परा, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTGs), छायाचित्र प्रदर्शिनी आदि को 14 गैलरियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। उक्त संग्रहालय में गैलरीवार प्रदर्शन से संबंधित पुस्तिका, कॉफी टेबल बुक एवं ब्रोशर का प्रकाशन संस्थान द्वारा किया गया है।

1. छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय कॉफी टेबल बुक
2. छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय पुस्तिका
3. छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय संक्षिप्त विवरण बुक
4. छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का ब्रोशर सामान्य जानकारी
5. आदि गोठ, द्वितीय संस्करण

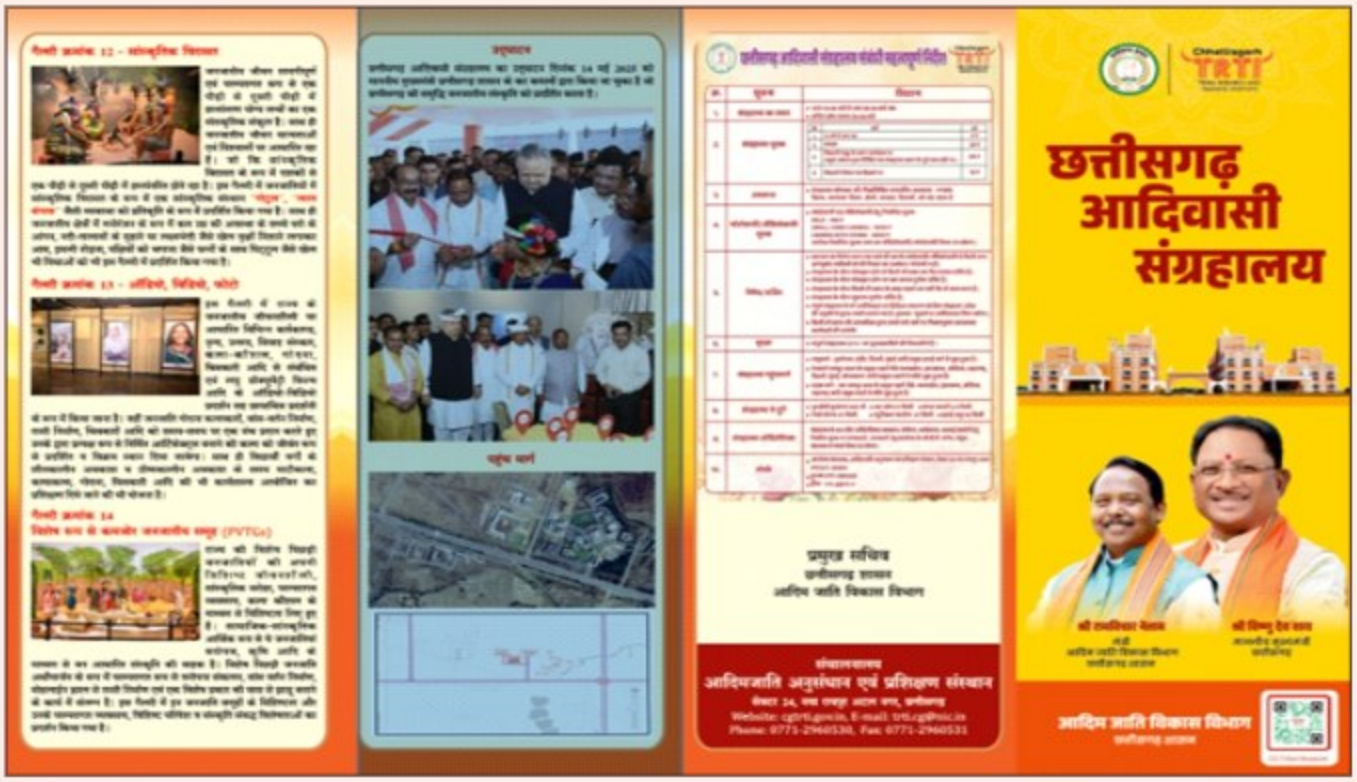
छत्तीसगढ़
आदिवासी
संग्रहालय
आदिम जाति विकास विभाग

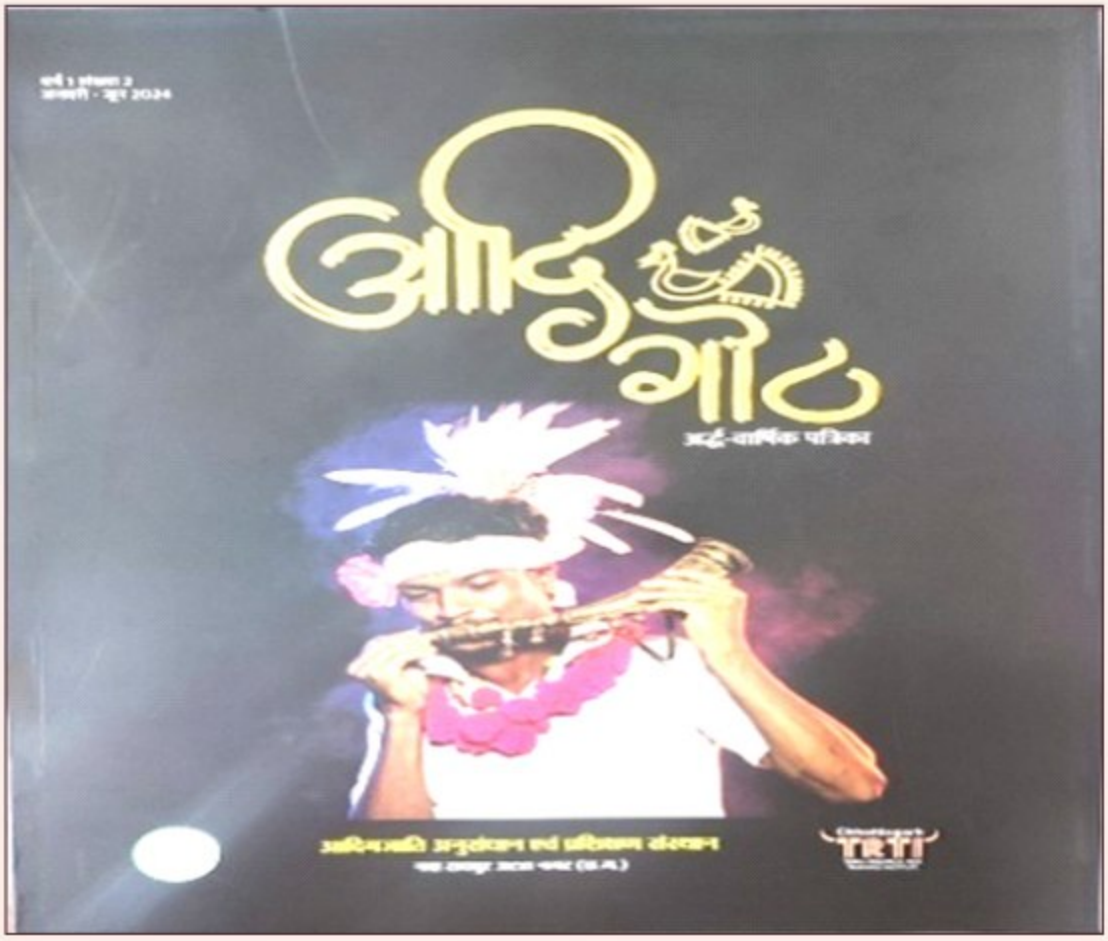
आदिगोठ
अर्द्ध-वार्षिक पत्रिका

100 सीटर छात्रावास की प्रगति

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान गठन के उद्देश्यों में समय–समय पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार स्तर पर जारी नियमों, अधिनियमों आदि के सशक्त क्रियान्वयन एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों के तहत मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ विभागीय अमलों, पंचायत जनप्रतिनिधी, जनजातीय जनप्रतिनिधी आदि को भी प्रशिक्षित किया जाना शामिल है।

अतः समय–समय ऐसे आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों के ठहरने हेतु संस्थान परिसर में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से 100 सीटर छात्रावास का निर्माण कार्य किया गया। उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उच्च स्तरीय जाति छानबीन प्रकोष्ठ

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच से संबंधित दिनांक 30.11.2025 तक कुल 856 प्रकरण पंजीकृत हुए, जिनमें से माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनियमन नियम, 2013 में विहित प्रावधान एवं दिशा–निर्देशों का अनुसरण करते हुए 751 प्रकरणों पर आदेश पारित/निराकृत किये गये है।

अध्याय - 24

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस-राज्योत्सव 2025 में सहभागिता

राज्योत्सव 2025 अंतर्गत विभागीय प्रदर्शनी की विषयवस्तु छत्तीसगढ़ की "जनजातियों का गौरवशाली इतिहास एवं 25 वर्षों की विकास गाथा" अंतर्गत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धियों का समग्र, सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2000 से 2025 तक की प्रमुख उपलब्धियों का सारगर्भित विवरण, विभागीय गतिविधियों का ऑडियो–विजुअल प्रस्तुतीकरण, तथा छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की विशिष्टताओं का डिजिटल प्रदर्शन दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। संग्रहालय से चयनित आर्टेफ़ैक्ट्स एवं मॉडल्स का सीमित लेकिन अत्यंत सुंदर एवं रोचक प्रदर्शन भी प्रदर्शनी की भव्यता को बढ़ाया गया था।

केंद्र सरकार की महत्त्वपूर्ण जनजातीय योजनाओं–आदि वाणी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, आदि संस्कृति योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, आदि कर्मयोगी अभियान तथा अन्य प्रासंगिक राज्य एवं केंद्र स्तरीय योजनाओं को डिजिटल कीओस्क द्वारा अत्यंत सरल, सजीव और आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे आगंतुकों को योजनाओं की जानकारी सहजता से प्राप्त हुई थी। जनजातीय संस्कृति एवं राज्य की रजत जयंती थीम पर आधारित सेल्फी बूथ ने युवाओं और आगंतुकों को विशेष रूप से आकर्षित किया।

एकलव्य आदर्श
आवासीय विद्यालय
आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
की गतिविधियां एवं प्रकाशित पुस्तक

छत्तीसगढ़ जनजातीय संग्रहालय

भाग - आठ

अध्याय - 25
फ्लैगशिप योजनाएं

युवा कॅरियर निर्माण योजना (राजीव युवा उत्थान योजना) वर्ष 2019

उद्देश्य :- पूर्व में यह योजना युवा कॅरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी योजना है। इस हेतु अभ्यर्थियों का चयन राज्य स्तर पर प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।

राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत 03 घटक हैं -

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु
2. छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी
3. एस.एस.सी., बैकिंग, रेल्वे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र

1. **संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु** :- इस योजना अन्तर्गत छ.ग. राज्य के प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नई दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों हेतु ट्रायबल यूथ हॉस्टल में आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कोचिंग संस्थाओं के निकट आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को राशि रूपये 12000/– प्रतिमाह स्टायपेन्ड प्रदाय किया जाता है।

स्वीकृत सीट (अनुसूचित जनजाति वर्ग) :-

वर्ष 2024–25 मेंकुल 200 सीट स्वीकृत है। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित है :–

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चयनित विद्यार्थी	
			प्रारंभिक परीक्षा (UPSC)	राज्य परीक्षा
2022–23	25	25	0	3
2023–24	33	26	2	2
2024–25	100	83	2	4

2. **छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी** :-

राजीव युवा उत्थान योजना के तहत् छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीट जिला रायपुर, 50 सीट जिला दुर्ग एवं 100 सीट बिलासपुर में निर्धारित है।

स्वीकृत सीट :-

वर्ष 2024–25 में कुल 200 सीट स्वीकृत है। इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित है :–

वर्ष	स्वीकृत सीट (अनुसूचित जनजाति)	प्रवेशित सीट	चयनित विद्यार्थी
2022–23	25	25	0
2023–24	25	25	2
2024–25	50	37	0

3. एस.एस.सी., बैकिंग, रेल्वे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र :-

राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें बैकिंग, रेल्वे, व्यापम तथा एस.एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।

प्रशिक्षण केन्द्र :-

जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में स्थापित है। प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100–100 सीट इस प्रकार कुल 500 सीट्स स्वीकृत है। वर्ष 2022–23 से सभी 05 केन्द्रों में 6–6 माह के दो सत्र संचालित किये गये, इस तरह 1000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया।इसमें 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग, 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग एवं 20 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्धारित है यह कोचिंग पूर्णतः आवासीय है।

स्वीकृत एवं प्रवेशित की जानकारी (अनुसूचित जनजाति) :-

वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट	चयनित विद्यार्थी
2022–23	500	500	45
2023–24	500	500	14
2024–25	500	500	6
2025–26	500	500	–

बजट प्रावधान :-

वर्ष 2025–26 में उक्त योजना अंतर्गत कुल 923.40 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जनजाति हेतु कुल 824.00 लाख का बजट प्रावधान है।

संघ लोक सेवा अयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई।

इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख) मात्र प्रदान किया जाता है।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

योजना नियमावली अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है।

बजट प्रावधान (अनुसूचित जनजाति) :-

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	लाभान्वित विद्यार्थी
01	2023–24	18.00	02
02	2024–25	18.00	02
03	2025–26	18.00	01

युवा कॅरियर निर्माण योजनांतर्गत प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना

विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण है तथा ड्राप लेकर प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री.मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते है, के लिए यह योजना बनाई गई है। यह प्रशिक्षण आवासीय एवं निःशुल्क है।

स्वीकृत सीट :- अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु 64 सीट निर्धारित है।

बजट प्रावधान (अनुसूचित जनजाति) :-

वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	लाभान्वित अभ्यर्थियों की संख्या	मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजो में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या
2022–23	100.00	64	27
2023–24	100.00	64	19
2024–25	100·00	64	16
2025–26	100.00	64	प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है

युवा कॅरियर निर्माण योजना (पी.ई.टी.-पी.एम.टी. कोचिंग रायपुर)

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर–अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर उनके जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। छ.ग. राज्य के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2010 में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना लागू की गई।

वर्तमान में प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अम्बिकापुर, कांकेर, बस्तर, कोरबा, बालोद, रायगढ़ तथा जशपुर जिलो में अनुसूचित जनजाति वर्गो के लिए संचालित है। वर्तमान सत्र 2025–26 में जिला बलरामपुर एवं राजनांदगांव में नवीन प्रयास आवसीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

आस्था :-

नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 09 से 12वीं तक अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रयास :-

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराकर उनकी जीवन में स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2010 में राजधानी रायपुर में 200 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था। इन विद्यालयों में निजी कोचिंग संस्थाओं को ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के माध्यम से चयन कर अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभ से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जागरूक होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

वर्ष 2025-26 में स्वीकृत सीट एवं भरे सीट :-

क्र.	जिला	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ संचालित हैं	विषय	संस्था संचालन हेतु स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या		
						बालक	कन्या	योग
1	रायपुर	प्रयास बालक विद्यालय सड्डू, रायपुर	गणित समूह	2010	800	676	—	676
2	रायपुर	प्रयास कन्या विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	जीवविज्ञान समूह	2012	620	—	525	525
3	बस्तर	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बस्तर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2013	500	265	187	452
4	सरगुजा	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला सरगुजा	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2013	500	286	192	478
5	दुर्ग	प्रयास आवासीय विद्यालय, जिला–दुर्ग	बालक–जीव विज्ञान समूह कन्या–गणित समूह	2014	500	269	149	418
6	बिलासपुर	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर	कन्या–कला समूह (क्लेट) बालक–वाणिज्य समूह	2014	500	260	183	443
7	कांकेर	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला कांकेर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2015	400	175	188	363
8	कोरबा	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला कोरबा	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2018	400	186	188	374
9	जशपुर	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला जशपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2018	400	186	194	380
10	बालोद	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बालोद	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2022	500	202	145	347

11	रायगढ़	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला रायगढ़	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2024	250	94	83	177
12	राजनांदगांव	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला राजनांदगांव	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2025	125	74	50	124
13	बलरामपुर	प्रयास विद्यालय जिला बलरामपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2025	125	44	30	74
योग					**5620**	**2717**	**2114**	**4831**

वर्ष 2024-25 प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम :-

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	संस्था में कक्षा 10वीं में पंजीकृत कुल विद्यार्थी	कक्षा 10वीं परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 10वीं में टॉप 10 में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर	167	167	161	0
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, जिला–रायपुर	117	117	117	5
3	प्रयास आवासीय विद्यालय, जिला–दुर्ग	117	117	113	1
4	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर	116	116	116	0
5	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला अंबिकापुर	112	112	112	2
6	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला–बस्तर	110	110	110	0
7	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला–कांकेर	96	96	95	2
8	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला–कोरबा	84	84	84	1
9	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला–जशपुर	96	95	95	1
10	प्रयास आवासीय विद्यालय पिनकापार जिला–बालोद	113	113	109	1
योग		**1128**	**1127**	**1112**	**13**

वर्ष 2024-25 प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम :-

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	संस्था में कक्षा 12वीं में पंजीकृत कुल विद्यार्थी	कक्षा 12वीं परीक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या	कक्षा 12वीं में 60 प्रतिशत से ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या	द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर	173	171	119	38
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	124	124	113	9
3	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय दुर्ग	114	112	87	09
4	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर	114	113	96	17
5	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय अंबिकापुर	121	121	118	3
6	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बस्तर	112	112	70	33
7	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कांकेर	93	92	64	8
8	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय कोरबा	85	85	70	13
9	प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय जशपुर	97	97	94	2
योग		**1033**	**1027**	**831**	**132**

वर्ष 2025-26 में विशेष उपलब्धि :-

(क) नीट (NEET) परीक्षा में प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण :-

क्र.	संस्था का नाम	परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों की संख्या	क्वालीफाईड विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेशित
1	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	119	75	15
2	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, दुर्ग	65	10	02
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, अम्बिकापुर	77	17	0
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जगदलपुर	68	10	0
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कांकेर	67	19	0
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कोरबा	53	11	0
7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जशपुर	57	8	0
कुल		**506**	**150**	**17**

क्र.	संस्था का नाम	विवरण			प्रवेशित			
		कुल पंजीयकृत विद्यार्थी	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी	चयनित	NIT	IIT	IIIT	Govt Engineering College
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर	153	153	69	12	0	11	32
2	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, अम्बिकापुर	44	44	16	3	1	0	2
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, दुर्ग	46	46	12	2	0	0	4
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जशपुर	38	38	9	1	0	0	5
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कांकेर	23	23	8	0	0	0	0
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जगदलपुर	37	37	7	0	0	0	7
7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कोरबा	31	30	1	0	0	0	1
कुल		**372**	**371**	**122**	**18**	**01**	**11**	**51**

विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं :-

1. प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं यथा अध्यापन, कोचिंग, आवास, भोजन, गणवेश, पुस्तकों की व्यवस्था आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
2. अध्यापन एवं कोचिंग की व्यवस्था आऊटसोर्स से "रूचि की अभिव्यक्ति" (EOI) के तहत चयनित कोचिंग संस्था द्वारा करायी जाती है।

3. विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्यापन के साथ–साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सी.ए./सी.एस, क्लैट की कोचिंग के साथ ही एन.टी.एस.ई., विज्ञान पहेली जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी शामिल कराया जाता है।
4. शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रूपये 2000/–प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी वर्ष में 12 माह प्रदान किया जाता है।
5. विद्यार्थियों हेतु फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी तथा कम्प्यूटर लैब की सुविधा संस्था में उपलब्ध है।
6. प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में संदर्भ पुस्तिका निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने हेतु परीक्षा शुल्क भी विभाग की ओर से दिया जाता है।
7. विद्यार्थियों के खेल तथा मनोरंजन की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है।

लैपटॉप प्रदाय योजना :-

प्रयास आवासीय विद्यालयों से चयनित विद्याार्थी जो वर्तमान शिक्षण सत्र में IIT, NIT, IIIT, MBBS जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रवेश होने पर उन्हे प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप/चेक के माध्यम से राशि प्रदान की जाती है।

आर्थिक सहायता योजना :-

प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थी जो IIT में प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे उनको प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी प्रोत्साहन स्वरूप राशि रू. 40000/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

योजना का उद्देश्य प्रतिभावान एवं गरीब छात्रों को IIT, AIIMS, IIM, NLU, MBBS शासकीय मेडिकल व इंजीनियरिंग जैसी संस्थानों में चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए आर्थिक सहायता राशि रूपये 50,000/– (एक बार) प्रदान करना है।

आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षको के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षको की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटे है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे है। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है। कुल 500 स्वीकृत सीट में 80 प्रतिशत सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक–स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2025–26 में राशि रूपये 240.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रवेश की स्थिति एवं विभिन्न पदों पर चयन का विवरण (अनुसूचित जनजाति वर्ग) :-

वर्ष	विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या) दुर्ग	विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (बालक) जगदलपुर	विभिन्न पदों पर चयनित विद्यार्थी
2023–24	452	168	49
2024–25	473	199	10
2025–26	477	275	शिक्षण प्रक्रियाधीन है

❑❑❑❑❑

भाग - नौ

अध्याय - 26
नवाचार/महत्वपूर्ण कार्य

(1) अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन स्तर) छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना केन्द्र प्रवर्तित है। इसके लिए भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं छत्तीसगढ़ राज्य 25 प्रतिशत राज्यांश से यह योजना संचालित हो रही है।

कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ई-मेधा : ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक (महाविद्यालयीन स्तर) छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया :-

छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृत एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनिटरिंग करने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी। प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रकिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.postmatric-scholarship.cg.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी तथा प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑन–लाईन के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में कुल 113316 विद्यार्थियों को राशि रूपये 9581.34 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

विभाग द्वारा किया गया नवाचार :-

विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक महाविद्यालयीन स्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। पूर्व की व्यवस्था अनुसार ऑनलाईन छात्रवृत्ति का भुगतान वर्ष में 01 बार माह जनवरी से माह मार्च के मध्य किया जाता था। व्यापक लोकहित एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए सघन एवं सर्तक रूप से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने हेतु शिक्षा सत्र 2025–26 से नवीन व्यवस्था के तहत् पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान की तिथियों का निम्नानुसार निर्धारण कर समय–सीमा के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है :–

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
	30 सितंबर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
	30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

नवाचार का प्रभाव :-

विगत वर्ष 2024–25 में 10 दिसम्बर 2024 तक महाविद्यालयीन स्तर का भुगतान प्रारंभ नहीं हो पाया था जबकि नयी व्यवस्था उपरान्त दिनांक 10 दिसम्बर 2025 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लक्ष्य 80000 के विरूद्ध 54895 (68%) विद्यार्थियों को राशि रूपये 5200.00 लाख (61%)का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार नवीन व्यवस्था लागू कर समय–समय पर समीक्षा करने से तथा निर्धारित समयावधि में छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित हुआ है। जिससे सुशासन की व्यवस्था से जन विश्वास में वृद्धि हुई है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

ST Post Matric scholarship		
Year	**Students**	**Amount (in lakhs)**
2022-23	124787	8579.92
2023-24	118871	8367.28
2024-25	113316	9581.34
2025-26 (Dec 2025)	80707	8781.01

छात्रवृत्ति की दर (अनुसूचित जनजाति)

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति अंतर्गत नियमानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति एवं निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है।

- आय–सीमा–रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति अंतर्गत निर्वाह भत्ता की दरें दिनांक 01.04.2022 से निम्नानुसार लागू है :–

समूह	समूह	छात्रावासी		दिवा छात्र	
		माहवार	वार्षिक	माहवार	वार्षिक
समूह-1	Bechelor, Master Degree, MPhil/PhD degree leading to Degree, PG Diploma, In professional courses in various streams.	1200	12000	550	5500
समूह-2	All non -professional recognized courses leading to a Bachelor, Master Degree, MPhil/PhD degree not covered under Group-I in Arts, Science and Commerce like BA/B.Sc./B.Com or MA/MSc/M.Com	820	8200	530	5300
समूह-3	Vocational stream, ITI courses, 3 year diploma courses in Polytechnics, etc.	570	5700	300	3000
समूह-4	All post -matriculation level non -degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificate (class XI and XII).	380	3800	230	2300

(2) छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समुदाय विशेषकर विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समुदाय की जीवनशैली एवं संस्कृतिक पद्धतियों से संबंधित खूबसूरत छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के कर कमलों द्वारा दिनांक 14 मई 2025 को किया गया।

इस संगहालय में 14 गैलरियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनजातीय जीवनशैली के सभी पहलुओं का बहुत ही खूबसूरत ढ़ंग से जीवंत प्रदर्शन किया गया है। इनमें जनजातियों के भौगोलिक विवरण, तीज–त्यौहार, पर्व–महोत्सव तथा विशिष्ट संस्कृति, आवास एवं घरेलू उपकरण, शिकार उपकरण, वस्त्र (परिधान) एवं आभूषण, कृषि तकनीक एवं उपकरणों, जनजातीय नृत्य, जनजातीय वाद्ययंत्रों, आग जलाने, लौह निर्माण, रस्सी निर्माण, फसल मिंजाई (पौधों से बीज अलग करना), कत्था निर्माण, चिवड़ा–लाई निर्माण, मंद आसवन, अन्न कुटाई व पिसाई, तेल प्रसंस्करण हेतु उपयोग में लाने जाने वाले उपकरणों व परंपरागत तकनीकों, सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अबुझमाड़िया में गोटुल, भुंजिया जनजाति में लाल बंगला इत्यादि, जनजातीय में परम्परागत कला कौशल जैसे बांसकला, काष्ठकला, चित्रकारी, गोदनाकला, शिल्पकला आदि का एवं अंतिम गैलरी में विषेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यथा अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं राज्य शासन द्वारा मान्य भुंजिया एवं पण्डो के विशेषीकृत पहलुओं का प्रदर्शन किया गया है। इस संग्रहालय सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बड़े पैमाने पर एआई डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया है। संभवत इतने वृहद रूप से एआई एवं डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला यह देश का पहला संग्रहालय है।

संग्रहालय को देखने प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आगंतुक, शोधार्थी एवं बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं। इस संग्रहालय में बड़े पैमाने पर डिजीटलीकरण एवं एआई तकनीक के प्रयोग के कारण किसी भी गैलरी में भ्रमण के दौरान, वहां चस्पा किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर उस विद्या/विषय के संबंध में पूरी जानकारी मोबाईल पर देखी जा सकती है। इस संग्रहालय में अब तक 3 लाख 73 हजार पर्यटकों ने भ्रमण किया है।

(3) शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में समय–समय पर हुए विभिन्न आदिवासी क्रांतियों एवं आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शौर्य एवं पराक्रम को प्रदर्शित करने संस्थान परिसर में 9.75 एकड़ भूमि पर ''शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय''का निर्माण 16 गैलरियों, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला, जनजातीय आर्टिफेक्ट्स के साथ–साथ डिजिटल माध्यम में एवं मुक्ताकाश परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह जी को समर्पित स्मारक का निर्माण किया गया है। उक्त संग्रहालय में अंग्रेजी हुकूमत के विरूद्ध राज्य के विभिन्न जनजातीय समुदायों के द्वारा की गई 12 सशस्त्र क्रांतियों एवं 02 स्वतंत्रता आंदोलनों यथा हल्बा विद्रोह, सरगुजा विद्रोह, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, लिंगागिरी, कोई, मेरिया, मुरिया, रानी चौरिस, भूमकाल, सोनाखान विद्रोहों के साथ ही झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह की जीवंत झलक दिखाई गई है। इन विद्रोहों को अलग–अलग 14 सेक्टरों में बांटा गया है। अत्याधुनिक इस डिजिटल संग्रहालय में आगतुंकों के लिए वीएफएक्स टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन, डिजिटल स्क्रीन, मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

उक्त शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2025 को किया गया है।

यह देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर सरगुजा कलाकारों की नक्काशीदार पैनल, 1400 वर्ष पुराने साल–महुआ और साजा वृक्ष की प्रतिकृति जिसकी पत्तियों पर 14 विद्रोहों की डिजिटल कहानी उकेरी गई है। इस संग्रहालय में सेल्फी पॉइंट, दिव्यांग सुविधाएं, सीनियर सिटीजन के लिए विशेष इंतजाम, ट्राइबल आर्ट से सजा फर्श, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद गैंदसिंह और रानी गाइडल्यू की मूर्तियां भी लगाई गई है, जो लोगों के लिए प्रेरणाप्रद होंगे।

शहीद क्रांतिवीर नारायण सिंह

संग्रहालय के निर्माण से संबंधित समितियों की बैठक सह भ्रमण

संग्रहालय के निर्माण के दौरान समय–समय पर अद्यतन प्रगति के संबंध में विचार–विमर्श हेतु बैठकें आयोजित की गई। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्चुअल बैठक में संग्रहालय के गैलरीवार दृश्यों के कथानक, गैलरियों में प्रदर्शित की जाने वाली मूर्तियों/चित्रों इत्यादि के अवलोकन व अनुमोदन हेतु दिनांक 06.10.2025 को जनजातीय संघर्षों से संबंधित जननायकों के वंशजों एवं जनजातीय समाज के जानकार व्यक्तियों की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा संग्रहालय हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 14.07.2025 एवं 07.10.2025 को आयोजित कर संग्रहालय निर्माण की प्रगति का अवलोकन सह भ्रमण किया गया।

(4) जनजातीय गौरव दिवस 2025

जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के अतुलनीय योगदान, संघर्ष एवं बलिदानों के सम्मानार्थ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2021 में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, दिनांक 15 नवम्बर को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूरे वर्ष को "जनजातीय गौरव वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। जननायक भगवान बिरसा मुंडा का न्याय, समानता एवं आत्मसम्मान पर आधारित समाज का दृष्टिकोण आज भी जनजातीय समुदायों के अधिकारों एवं स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्रेरणास्रोत बना हुआ है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन, राज्य शासन जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इन समारोहों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राज्य की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनियों और शैक्षिक गतिविधियाँ इत्यादि शामिल है, जिनका उद्देश्य बिरसा मुंडा जैसे विराट जनजातीय नेताओं के इतिहास और योगदान के बारे में आम जन के मध्य जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उनके सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए चल रहे संघर्षों की याद दिलाता है। यह उनके सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने, बलिदान से भावी पीढी को अवगत कराने एवं समाज की मुख्यधारा में उनके अधिकारों के महत्व पर भी जोर देता है।

जनजातीय नायकों के योगदान का सम्मान करना :- स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण में जनजातीय नायकों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को जन–जन तक पहुँचाना।

जनजातीय गौरव और स्वाभिमान की भावना को सशक्त बनाना :- जनजाति समाज में अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान के प्रति गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना विकसित करना।

जनजातीय संस्कृति एवं धरोहर का संरक्षण और संवर्धन करना :- पारंपरिक लोककला, नृत्य, हस्तशिल्प, लोककथाएँ, और रीति–रिवाजों के संरक्षण व प्रदर्शन के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखना।

युवा पीढ़ी में प्रेरणा जागृत करना :- जनजाति नायकों के जीवन से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी में राष्ट्रीयता, एकता, और सेवा भाव को प्रोत्साहित करना।

जनजातीय विकास योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाना :- केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित जनजातीय कल्याण एवं विकास योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँचाना।

राज्य स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में निम्नानुसार कार्यक्रम किया गया है:-

क्र.	कार्यक्रम	तिथि
1	2	3
1	राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरवशाली इतिहास एवं जननायको पर आधारित संगोष्ठी (स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान)	दिनॉक 19.11.2025
2	राज्य स्तर पर उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव (करम महोत्सव)	दिनांक 19.11.2025
3	शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला नृत्य प्रतियोगिता	दिनॉक 19.11.2025
4	सरगुजा संभाग राज्य स्तरीय जनजातीय विकास प्रदर्शनी एवं क्राफ्ट मेला	दिनॉक 19.11.2025 से 20.11.2025
5	जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान	दिनॉक 20.11.2025
6	प्रमुख जनजाति एवं उप जनजाति प्रमुखों का सम्मान	दिनॉक 20.11.2025

संगोष्ठी/परिचर्चा विषयवार दो तकनीकी सत्रों में आयोजित की गई थी। उक्त संगोष्ठी में राज्य एवं राज्य के बाहर निवासरत कुल 12 विषय विशेषज्ञ, अध्येता, बुद्धिजीवी, जनजातीय विषयों में रुचि रखने वाले प्रबुद्धजन तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं द्वारा अपने ज्ञान और अनुभव साझा किए गए।

संगोष्ठी में विशेषज्ञों के आख्यान, वक्तव्य और विचारों से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ। दूर–दराज के विद्यार्थीगण, अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं अन्य स्थानीय विद्यालयीन/महाविद्यालयीन सदस्य तथा जनसामान्य की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की। उक्त आयोजन में लगभग 297 प्रतिभागी और श्रोता उपस्थित हुए।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्य में दिनांक 01 नवंबर से 15 नवंबर तक ब्लॉक एवं जिला स्तर पर माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति के साथ सभी 33 जिलों में आश्रम/छात्रवासों, एकलव्य विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में प्रभातफेरी, संगोष्ठी, रंगोली, क्रीडा स्पर्धा, क्विज, चित्रकला एवं अन्य प्रतियोगिताएँ का आयोजन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। संपन्न आयोजनों का पोर्टल में एंट्री उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य देशभर में द्वितीय स्थान पर रहा।

राज्य स्तर पर उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव (करम महोत्सव)

छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय समुदायों द्वारा मनाये जाने वाले उत्सवों/त्यौहारों में "करम उत्सव" एक महत्वपूर्ण उत्सव है। राज्य में करम उत्सव को चार भिन्न–भिन्न उद्देश्यों के साथ माह अगस्त– सितम्बर माह (भादो) से अक्टूबर– नवम्बर माह (कार्तिक) तक संपूर्ण सरगुजा संभाग के जिले एवं रायगढ, महासमुंद, कोरबा बिलासपुर एवं गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिलों में स्थानीय जनजातीय समूहों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।

जनजातीय गौरव दिवस 2025 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रमों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले संबंधित 09 जिलों के नर्तक दलों ने 19 नवम्बर 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की, जिसमें लगभग 392 प्रतिभागी शामिल हुये। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	जिला	नर्तक दल का नाम	नर्तक दल में शामिल सदस्यों की संख्या
1	कोरिया	आदिवासी सांस्कृतिक जया भोले करमा दल बोडार	58
2	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	राम चरित मानस करमा दल	25
3	सरगुजा	गोर्रापारा करमा दल	42
4	सूरजपुर	पारंपरिक करमा दल ग्राम बकालो वि.खं प्रेमनगर	62
5	जशपुर	जय माता दी करमा नृत्य पार्टी टाटीडांड, कांसाबेल	31
6	बलरामपुर–रामानुजगंज	करमा लोक नृत्य–खजुरी	29
7	कोरबा	जय ठाकुर देव महिला करमा पार्टी ग्राम घोटमार ग्राम पंखयत गेरांव वि.ख. कोरबा	74
8	रायगढ़	डुम्बारी पारा करमा पार्टी, लैलूंगा	41
9	बिलासपुर	जय महामाया करमा एवं डण्डा दल समिति	30

उक्त नृत्य प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न जनजातीय नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक संगीत एवं नृत्य–शैली का मूल्यांकन राज्य स्तरीय निर्णायक समिति द्वारा किया गया। सभी प्रस्तुतियों का सूक्ष्म परीक्षण, कलात्मकता, सांस्कृतिक मौलिकता, सामूहिक ताल–मेल एवं प्रस्तुति–शैली के आधार पर किया गया। विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत निर्णायक समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नर्तक दलों का चयन किया गया तथा उनकी विजेता सूची औपचारिक रूप से घोषित की गई। विजेता नर्तक दलों की सूची निम्नानुसार है :–

पुरस्कार का विवरण	विजेता नर्तक दल का नाम
प्रथम (रू. 200000)	जय माता दी करमा नृत्य पार्टी टाटीडांड कांसाबेल, जिला–जशपुर
द्वितीय (रू. 100000)	पारंपरिक करमा दल ग्राम बकालो वि.खं प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर
तृतीय (रू. 50000)	जय ठाकुर देव महिला करमा पार्टी ग्राम घोटमार ग्राम पंखयत गेरांव वि.ख. कोरबा, जिला–कोरबा
सांत्वना पुरस्कार (रू. 25000)	करमा लोक नृत्य–खजुरी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज

प्रदर्शन के पश्चात् राष्ट्रपति महोदय ने मंच पर आकर सभी विजेता दलों को स्वयं अपने कर–कमलों से पुरस्कार और प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए। प्रथम पुरस्कार से सम्मानित जय माता दी करमा नृत्य पार्टी, टाटीडांड (कांसाबेल), जिला जशपुर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 20 नवम्बर 2025 को माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष अपनी कला प्रस्तुत करने का एक अत्यंत गौरवपूर्ण एवं विशेष अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी सहभागी नर्तक दलों को उनकी उत्कृष्ट भागीदारी के सम्मान में प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य शासन की मंशानुरूप भगवान बिरसा मुण्डा जी के 150 वीं जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन 19–20 नवम्बर 2025 को पी.जी. कॉलेज मैदान, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) में संपन्न हुआ। समापन समारोह माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा और उल्लास को और बढ़ा दिया। समारोह में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। राष्ट्रपति महोदया से मिलने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए लगभग 50,000 दर्शकों की उपस्थिति कार्यक्रम स्थल पर रही।

शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला नृत्य प्रतियोगिता

शहीद वीर नारायण सिंह समृति लोककला महोत्सव 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्ध जनजातीय कला, संस्ति एवं परंपराओं को प्रदर्शित करने राज्य के कुल 23 जिले के विजेता नर्तक दल शामिल हुए, जिसमें लगभग 670 प्रतिभागी शामिल हुए। इसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	जिला	नर्तक दल का नाम	नर्तक दल में शामिल सदस्यों की संख्या
1	दंतेवाड़ा	पुनेम सुंदरी गौर नृत्य ग्राम–जोडातराई, वि.खं–गीदम	33
2	बलौदाबाजार–भाटापारा	लोककला मंच लोककलहर सुवा परिवार ग्राम चरौटी कोलियारी	18
3	कोण्डागांव	लिंगो गोटुल मंदारी नाचा पार्टी ग्राम पंचायत बालेंगा रहटीपारा, विखं–बड़ेराजपुर, जिला–कोंडागांव	29
4.	कोरिया	जय जगदंबा करमा दल सारा, जिला–कोरिया	60
5	जगदलपुर	किलेपाल गडियापारा वि.ख. बास्तानार	25
6	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	जय बुढ़ादेव करमा दल	43
7	सरगुजा	लोक नर्तक दल कवरगिरी उदयपुर	31
8	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	सुआ नृत्य, पूटा	16
9	सूरजपुर	जय बुढ़ादेव करमा दल ग्राम कोटेया वि.ख. प्रतापपुर	40
10	जशपुर	जय माता दी करमा नृत्य पार्टी टाटीडांड कांसाबेल, जिला–जशपुर	31
11	बलरामपुर–रामानुजगंज	करमा लोक नृत्य–खजुरी	38

12	कोरबा	मोर चंदैनी गोंदा ग्रामव पंचायत पहाड़गांव वि. ख. करतला कोरबा	47
13	रायगढ़	कर्मापार्टी छिरपानी खरसिया, जिला–रायगढ़	55
14	बालोद	जय बुढ़ादेव लोक नृत्य	25
15	कबीरधाम	बैगा नर्तक दल बिरहुलडीह	25
16	धमतरी	जय बिरसा मुंढा लोक सांअरी नृत्य सेवा समिति जैतपुरी पो. धुरावड वि.ख. नगरी	27
17	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	जय बुढ़ादेवकरमा नृत्य दल ग्राम कोदवा	26
18	गरियाबंद	भुंजिया लोक नर्तक दल गरियाबंद	35
19	मोहला–मानपुर–चौकी	आदिवासी मांदरी नृत्य उरझे	25
20	कांकेर	जय जंगो रायतार मांदरी ग्रुप डोम पदर	21
21	नारायणपुर	तुरबुड़ी नृत्य ग्राम पंचायत कोलयारी वि.ख. नारायणपुर	26
22	बीजापुर	भोगाल ढोल नृत्य केतुलनार, वि.खं भैरमगढ़	32
23	सुकमा	गुण्डाधुर लोक कलामंच किंदरवाड़ा	19

उक्त नृत्य प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न जनजातीय नर्तक दलों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक संगीत एवं नृत्य–शैली का मूल्यांकन राज्य स्तरीय निर्णायक समिति द्वारा किया गया। सभी प्रस्तुतियों का सूक्ष्म परीक्षण, कलात्मकता, सांस्तिक मौलिकता, सामूहिक ताल–मेल एवं प्रस्तुति–शैली के आधार पर किया गया। विस्तृत मूल्यांकन के उपरांत निर्णायक समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नर्तक दलों का चयन किया गया तथा उनकी विजेता सूची औपचारिक रूप से घोषित की गई। विजेता नर्तक दलों की सूची निम्नानुसार है।

राज्य स्तर पर विजेता नर्तक दल का विवरण

पुरस्कार का विवरण	विजेता नर्तक दल का नाम
प्रथम (100000/–)	लिंगो गोटुल मंदारी नाचा पार्टी ग्राम पंचायत बालेंगा रहटीपारा, वि.खं–बड़ेराजपुर, जिला–कोंडागांव
द्वितीय (50000/–)	जय माता दी करमा नृत्य पार्टी टाटीडांड कांसाबेल, जिला–जशपुर
तृतीय (25000/–)	कर्मापार्टी छिरपानी खरसिया, जिला–रायगढ़

शहीद वीर नारायण सिंह समृति लोककला महोत्सव 2025 में राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनजातीय नर्तक दलों ने अपनी कला, परंपरा और उत्साह से सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक परिधानों, विशिष्ट वाद्ययंत्रों और अद्वितीय लय–ताल से सजी ये प्रस्तुतियाँ भारत की जनजातीय विरासत की जीवंत झलक थीं। प्रदर्शन के पश्चात् राष्ट्रपति महोदय ने मंच पर आकर सभी विजेता दलों को स्वयं अपने कर–कमलों से पुरस्कार और प्रशस्ति–पत्र प्रदान किए। यह सम्मान न केवल कलाकारों के लिए गर्व का क्षण था, बल्कि उनके समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने वाला अवसर भी बना। इस आयोजन ने जनजातीय कला को नई पहचान और ऊँचाई प्रदान की।

कार्यक्रम अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरवशाली इतिहास और जननायकों पर संगोष्ठी, उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोक नृत्य महोत्सव (करम महोत्सव), शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला नृत्य प्रतियोगिता, सरगुजा संभाग स्तरीय जनजातीय विकास प्रदर्शनी एवं क्रॉफ्ट मेला, जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का सम्मान, मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ तथा प्रमुख जनजाति एवं उप–जनजाति प्रमुखों का सम्मान किया गया। लोक नृत्य महोत्सव ने आम जनता का विशेष ध्यान आकर्षित किया और क्रॉफ्ट मेला समूचे आयोजन का आकर्षण केंद्र रहा। राष्ट्रपति महोदया ने विजेता नर्तक दल एवं आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों को अपने करकमलों से सम्मानित किया।

इस कार्यक्रम अंतर्गत छत्तीसगढ़ की जनजातीय विविधता, भौगौलिक, सांस्कृतिक, नृत्य आदि संस्कृति को जनसामान्य से अवगत कराया गया। जिसमें जनजातीय नृत्य, जनजातीय कला, जनजातीय ज्ञान के प्रदर्षन के साथ ही राज्य के जनजातीय जननायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ब्रिटिश हुकूमत के विरूद्ध किये गये संघर्षों, उनके शौर्य, साहस एवं बलिदान को आगामी पीढ़ी को अवगत कराने एवं हस्तांतरित करने के उद्देश्य से दिनांक 19.11.2025 को ''स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों का योगदान'' विषय पर विषय–विशेषज्ञों की एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन सरगुजा संभाग मुख्यालय के पी.जी. कॉलेज, ग्राउण्ड अम्बिकापुर में किया गया है।

अन्य राज्यों में सहभागिता

(अ) जनजातीय गौरव मेला आदिवासी मेला, ओडिशा

SCSTRTI भुवनेश्वर, ओडिशा द्वारा 5 से 16 जनवरी 2025 तक आयोजित 12 दिवसीय जनजातीय गौरव मेला "आदिवासी मेला" में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु सुकमा जिले के धुरवा जनजाति नर्तक दल को प्रेषित किया गया था। नर्तक दल ने 9 से 11 जनवरी 2025 के मध्य अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं, जिनमें उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

(ब) राष्ट्रीय जनजातीय व्यंजन महोत्सव, राजस्थान

माणिक्य लाल वर्मा जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राजस्थान) द्वारा सितंबर 2025 में आयोजित "राष्ट्रीय जनजातीय खाद्य महोत्सव 2025" में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की चन्दा नाग और रीना गोंदे ने पारंपरिक व्यंजन जैसे चापड़ा चट्टनी, मंडिया पेज, मंडिया रोटी और आमट प्रस्तुत किए। उनके द्वारा तैयार किए गए छत्तीसगढ़ी व्यंजन सभी को अत्यंत पसंद आए और उनके स्वाद, प्रस्तुति और पारंपरिक तरीके की प्रशंसा हुई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खाद्य और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व ने महोत्सव में एक विशेष स्थान बनाया और राज्य की समृद्ध खाद्य परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की।

(स) जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025, नई दिल्ली

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 नवंबर 2025 को यशोभूमि, नई दिल्ली में आयोजित जनजातीय व्यापार सम्मेलन 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और दुर्ग जिलों के जनजातीय उद्यमियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सम्मेलन में विभिन्न पारंपरिक और आधुनिक उद्योग जैसे पारंपरिक मिलेट्स, महुआ लड्डू निर्माण, इमली आधारित व्यवसाय, ढेकी चावल व्यवसाय, और जनजातीय आभूषण एवं परिधान उद्योग के प्रतिनिधियों ने अपने उत्पाद और व्यवसाय मॉडल प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों में श्रीमती प्रियंका नाग, उर्मिला नाग, देवंती बघेल, बिंदिया मंडावी और भेनु ठाकुर सहित शामिल थे। सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय उद्यमियों को राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पाद और व्यवसाय को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया और उनकी पारंपरिक एवं नवाचारयुक्त पेशकश की व्यापक सराहना हुई।

(5) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किया गया।

पीएम–जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों तथा बसाहटों में मूलभूत सुविधाओं में विद्यमान अंतर (Gaps) का चिन्हांकन कर शासकीय योजना के प्रभावी कियान्वयन के माध्यम से लक्षित तथा संतृप्तिमूलक विकास कर उन्हे मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (PVTG) क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया एवं बिरहोर निवासरत है। PVTG निवासरत 18 जिलों के 1544 ग्रामों तथा 2365 बसाहटों में इस अभियान का कियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार ने चिन्हित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश हेतु 24000 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ इस मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के तहत संचालित 09 मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नानुसार है :–

क्र.	गतिविधि कानाम	भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग
1	पक्के घर का प्रावधान	ग्रामीण विकास मंत्रालय (PradhanMantriAwasYojna-Gramin)
2	संपर्क सड़कें	ग्रामीण विकास मंत्रालय (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna)
3	दवा लागत सहित मोबाईल मेडिकल यूनिट	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (National Health Mission)
4	छात्रावासों का निर्माण	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Samagra Shiksha)
5	पाईप से जलापूर्ति एवं सामुदायिक जलापूर्ति	जल शक्ति मंत्रालय (Jal Jeevan Mission)
6	आंगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण एवं संचालन	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Anganwadi Services)
7	वनधन केन्द्रों की स्थापना	आदिम जाति विकास मंत्रालय
8	बहु–उद्देशीय केन्द्रोकानिर्माण	आदिम जाति विकास मंत्रालय
9	अविद्युतिकृत घरों का विद्युतीकरण एवं ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा का प्रावधान एवं सड़कों एवं बहुउद्देशीय केन्द्रों हेतु सौर प्रकाश व्यवस्था	ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय (New Solar Power Scheme)
10	मोबाईल टॉवर की स्थापना	दूरसंचार विभाग (USOF)
11	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Samagra Shiksha Abhiyan & PM Kaushal Vikas)

राज्य में इस अभियान के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है -

पीवीटीजी समुदाय के परिवारों को शत-प्रतिशत पक्का आवास :-

राज्य में पीवीटीजी समुदाय को पक्के घर के प्रावधान के अंतर्गत कुल स्वीकृत 33233 आवास में से 16263 आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं।

पीवीटीजी बसाहटों को बारहमासी आवागमन हेतु संपर्क सड़के निर्माण

अब तक इस गतिविधि अंतर्गत स्वीकृत 715 सड़क में से 127 संपर्क सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा वन संरक्षण अधिनियम प्रभावित सड़कों एवं ऐसी सड़कें जो वर्तमान में FCA से FRA में परिवर्तित हुई है को छोड़कर 553 सड़कों का निर्माण मार्च 2026 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण :-

पीएम जनमन अंतर्गत कुल स्वीकृत 158 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के विरूद्ध 16 भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वन धन विकास केन्द्र की स्थापना :-

राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के द्वारा वनधन विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है। पीएम जनमन अंतर्गत स्वीकृत 16 वनधन विकास केन्द्र में से सभी वनधन केन्द्रों का संचालन प्रारंभ हो चुका है।

बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण :-

- पीएम–जनमन अभियान अंतर्गत विभाग के द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत 75 बहुउद्देशीय केन्द्रों (एमपीसी) के निर्माण से संबंधित कार्यवाही की जा रही है। जिसका उद्देश्य लघु पीव्हीटीजी बस्तियों में निवासरत परिवारों को एक ही छत के नीचे कई सेवायें प्रदान करना है।
- बहुउद्देशीय केन्द्रों (एमपीसी) का निर्माण हेतु शत प्रतिशत राशि भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। योजना अंतर्गत भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू.852.39 लाख एवं वर्ष 2025–26 में राशि रू.700.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू.1552.39 लाख प्राप्त हुआ है तथा राशि रू.2947.61 लाख प्राप्त होना शेष है।
- वर्तमान में 27 बहुद्देशीय केन्द्र पूर्ण एवं 47 प्रगति पर तथा 01 बहुद्देशीय केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। योजना अंतर्गत प्राप्त राशि के विरूद्ध अब तक राशि रू.1351.07 लाख व्यय किया गया है।

अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण :-

- राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में ऑफ ग्रिड मोड में स्वीकृत 1578 आवास के विरूद्ध 751 अविद्युतीकृत पीवीटीजी परिवारों के घरों का विद्युतीकरण किया गया है।
- आन ग्रिड मोड से स्वीकृत 7160 पीव्हीटीजी परिवार के घरों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नल से जल :-

राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिये नल से जल गतिविधि के द्वारा शत प्रतिशत पीवीटीजी घरों में जल आपूर्ति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 331402 घरों में नल से जल हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है एवं 251224 घरों में कार्य पूर्ण हो चुका है।

मोबाईल मेडिकल यूनिट :-

राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिये मोबाईल मेडिकल यूनिट गतिविधि अंतर्गत 58 मोबाईल मेडिकल यूनिट स्वीकृत हुये हैं जिनके द्वारा 622 ग्रामों के पीवीटीजी बसाहटों में सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

छात्रावास भवन का निर्माण :-

राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिए छात्रावास का निर्माण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत कुल 40 छात्रावास स्वीकृत हुये है जिनमें से 19 में कार्य प्रारंभ हो गया हैं।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास :-

राज्य में पीवीटीजी बसाहटों के लिये व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास की गतिविधियों पर पीएम जनमन अभियान में 682 पीवीटीजी युवाओं को विभिन्न कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

राज्य को पीएम-जनमन अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया गया -

(6) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

इस अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत जिलों के 500 से अधिक जनसंख्या वाले जनजाति बाहुल्य ग्रामों एवं आकांक्षी जिलों के न्यूनतम 50 जनजातीय जनसंख्या वाले गांवों को स्वीकृत गतिविधियों से संतृप्त किए जाने का उद्देश्य है।

- इस अभियान की अवधि पांच वर्ष (2024–25 से 2028–29) की है। अभियान अंतर्गत 5 वर्षो में (1) सुदृढ़ अधोसंरचनात्मक विकास (2) आर्थिक सशक्तीकरण को उन्नत करना (3) अच्छी शिक्षा की पहुंच का सार्वभौमिकीकरण (4) स्वस्थ्य जीवन एवं गरिमापूर्ण वृद्धावस्था जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है।
- इस अभियान का क्रियान्वयन 17 लाईन मंत्रालयों के द्वारा किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत 25 गतिविधियां यथा प्रधानमंत्री आवास, संपर्क सड़क, जल आपूर्ति–जल जीवन मिशन, हाउस एनर्जाइजेशन, सौर ऊर्जा, एमएमयू/आयुष्मान कार्ड, आदिवासी परिवारों के लिए एलपीजी, आंगनबाड़ी, छात्रावास निर्माण, पोषण वाटिका, दूरसंचार संपर्क–सार्वभौमिक, जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास, डिजिटल पहल–डिजिटल इण्डिया, वन अधिकार लाभार्थियों के लिए सतत् कृषि, आदिवासी मछुआरों के लिए जल कृषि, वन अधिकार लाभार्थियों के लिए सहायता, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पर्यटन–स्वदेश

दर्शन एवं बहुक्षेत्रीय जनजातीय विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायताका विस्तार, जनजातीय बहुउददेश्यीय विपणन केन्द्र, सिकल सेल जागरूकता परामर्श, पोटेंशियल CFR एटलस के विकास एवं वन अधिकार अधिनियम से संबंधित अन्य कार्य एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु संचालित आश्रम शाला, प्री.मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों के उन्नयन के माध्यम से लक्षित ग्रामों को विकास से संतृप्त किया जाना है।

- इस अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य के 32 जिलों के 138 विकासखण्डों के 6691 ग्राम सम्मिलित है। इन ग्रामों में 10,71,897 जनजाति परिवार तथा 47,49,487 जनजातीय जनसंख्या निवास करती है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत गतिविधियां निम्नानुसार है :–

(लाख में)

क्र.	घटक	इकाई	स्वीकृत राशि
1	राज्य स्तरीय एफआरए सेल	1	25.85
2	जिला स्तरीय एफआरए सेल	30	260.10
3	सामुदायिक वनसंसाधन प्रबंधन	100 (CFR Management Plans for GS)	1500.00
4	ग्रामसभा/CFRMC को तकनीकी सहायता हेतु नागरिक सोसायटी संगठन (CSO) को वित्तीय सहायता	100 (प्रति ग्रामसभा 1.00 लाख के मान से)	100.00
5	छात्रावास/आश्रमों का उन्नयन (अतिरिक्त कक्ष, शौचालय, फर्नीचर, स्कूल में अन्य प्रमुख कार्य, आवासीय विद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी छात्रावास)	1176	70737.03
	योग		**72622.98**

इस अभियान (DA-JGUA) अंतर्गत वर्ष 2025–26 में IEC कैम्पेन के माध्यम से जिलों में ग्राम पंचायत, कलस्टर्स में शिविरों का आयोजन तथा सेवाओं का प्रदाय किया गया, जिसमें 33366 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 33992 का आयुष्मान कार्ड, 10605 को पीएम किसान निधि, 6078 को पीएम उज्जवला योजना, 10660 का पीएम जनधन योजना, 15030 के जाति प्रमाण पत्र, 25784 राशन कार्ड, 8541 किसान क्रेडिट कार्ड एवं 6286 को पीएम मातृ वंदना योजना से लाभान्वित किया गया।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत आई.ई.सी. कैम्पेन

IEC Campaign-DA-JGUA

पत्रिका

ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच व दवाओं का वितरण

patrika.com

प्रमाण-पत्र के लिए पंजीयन

दैनिक भास्कर महासमुंद 24-06-2025

मवेशियों के टीकाकरण व पशुपालन से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई

(7) आदि कर्मयोगी अभियान

- जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा पीवीटीजी बसाहटो में निवासरत परिवारों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण संतृप्ति मूलक रुप से करने के उद्देश्य से पीएम–जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य सम्मिलित है। इन अभियानों के प्रभावी परिणाम प्राप्त करने हेतु आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ 10 जुलाई 2025 को किया गया है। अभियान के अंतर्गत 09 राज्य स्तरीय मास्टर को दिनांक 22–28 जुलाई 2025 तक भोपाल में प्रशिक्षित किया गया है।
- जिलास्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (State Process Lab for DMPs) का द्विचरणीय चार–चार दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 11–14 अगस्त, 2025 एवं 18–21 अगस्त, 2025 को रायपुर में किया गया।
- आदि कर्मयोगी अभियान के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम चरण का उद्घाटन दिनांक 12.08.2025 को मुख्य सचिव, छ.ग. शासन द्वारा किया गया। स्टेट प्रोसेस लैब, द्वितीय चरण का उद्घाटन मान. राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा किया गया।अभियान के अंतर्गत जिलों में ब्लॉक मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण तथा आदि साथी एवं आदि सहयोगी (वॉलिण्टियर्स) का प्रशिक्षण दिनांक 06 सितम्बर 2025 तक सम्पन्न किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत 28 जिलों के 6650 लक्षित ग्रामों में आदि सेवापर्व का आयोजन दिनांक 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2025 तक किया गया। इन लक्षित ग्रामों में 92830 आदि साथी, 51891 आदि सहयोगी तथा आदि कर्मयोगी तैयार किये गए हैं। इन्हीं आदि साथी एवं आदि सहयोगी तथा स्थानीय सक्रिय NGOs के माध्यम से सभी लक्षित 6650 ग्रामों में विलेज एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

- अभियान अंतर्गत ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान तैयार करने के लिए ग्रामों में Entry Point Activity, Transact walk (ग्राम भ्रमण) तथा ग्रामीणों एवं स्थानीय समुदायों के साथ विलेज विजनिंग एक्सरसाईज करने पर जोर दिया गया है।
- विलेज विजनिंग एक्सरसाईज के माध्यम से ग्रामीणों से चर्चा के दौरान गांव की समस्याओं, चुनौतियों एवं गांव की मूलभूत आवश्यकताओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, विद्युत, मोबाईल टावर आदि की

जानकारी प्राप्त की गई है, ताकि वर्ष 2030 तक सभी लक्षित ग्रामों को विकसित एवं विकास की मुख्य धारा से जुड़े गांवों में परिवर्तित किया जा सकें।

- इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आदि सेवा केन्द्रों के माध्यम से गांव की समस्याओं के निवारण तथा शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से शासकीय सेवाओं को सुगम एवं प्रभावी तरीके से ग्रामीणों तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक आदि सेवा पर्व पखवाड़ा आयोजित किया गया।
- 02 अक्टूबर को आयोजित उक्त कार्यक्रम में भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से अतिरिक्त सचिव, श्री मनीश ठाकुर द्वारा ग्राम गुजरा, दानीटोला एवं भैसबोड़ जिला–बालोद तथा मोहला–मानपुर–अं.–चौकी के ग्राम ख्वासफड़की का निरीक्षण किया गया तथा अन्य विभागीय संस्थाओं जैसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय आदि का अवलोकन किया गया। इसी तरह प्रबंध संचालक ट्राईफेड, भारत सरकार द्वारा गरियाबंद एवं कबीरधाम जिले के गांवों का भ्रमण किया गया।
- आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत जिलों में शिविरों का आयोजन तथा सेवाओं का प्रदाय किया गया, जिसमें 217343 हितग्राहियों का आधार कार्ड, 149859 का आयुष्मान कार्ड, 54248 को पीएम किसान निधि एवं 85276 को पीएम जनधन योजना से लाभान्वित किया गया।
- राज्य को पीएम–जनमन अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा पुरस्कृत किया गया –

स्टेट प्रोसेस लैब, रायपुर - मान. राज्य मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी द्वितीय चरण का उद्घाटन

ओरियन्टेशन एवं जिला प्रोसेस लैब का आयोजन

(8) मोर वन अधिकार मोर उत्तराधिकार

वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत वितरित वन अधिकार पत्र के धारकों की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसानों के नाम पर वन अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान/प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 में उल्लेखित नहीं है। जिसके कारण वंशजों को वन अधिकारों के हस्तांतरण में समस्या आ रही थी। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु पहली बार राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रंबधन विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु/फौत होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व/वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि संबंधी कार्यवाही हेतु की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया दिनांक 15.07.2024 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसके तहत राज्य में नामांकन, बटवारा, सीमांकन, त्रुटि सुधार, अपील के प्राप्त 13,231 प्रकरणों में से 8,908 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं (जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही भी शामिल हैं) में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन की कार्यवाही की जा रही है। माह नवंबर, 2025 की स्थिति में 4,396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में से 3113 ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन किया जा चुका है।

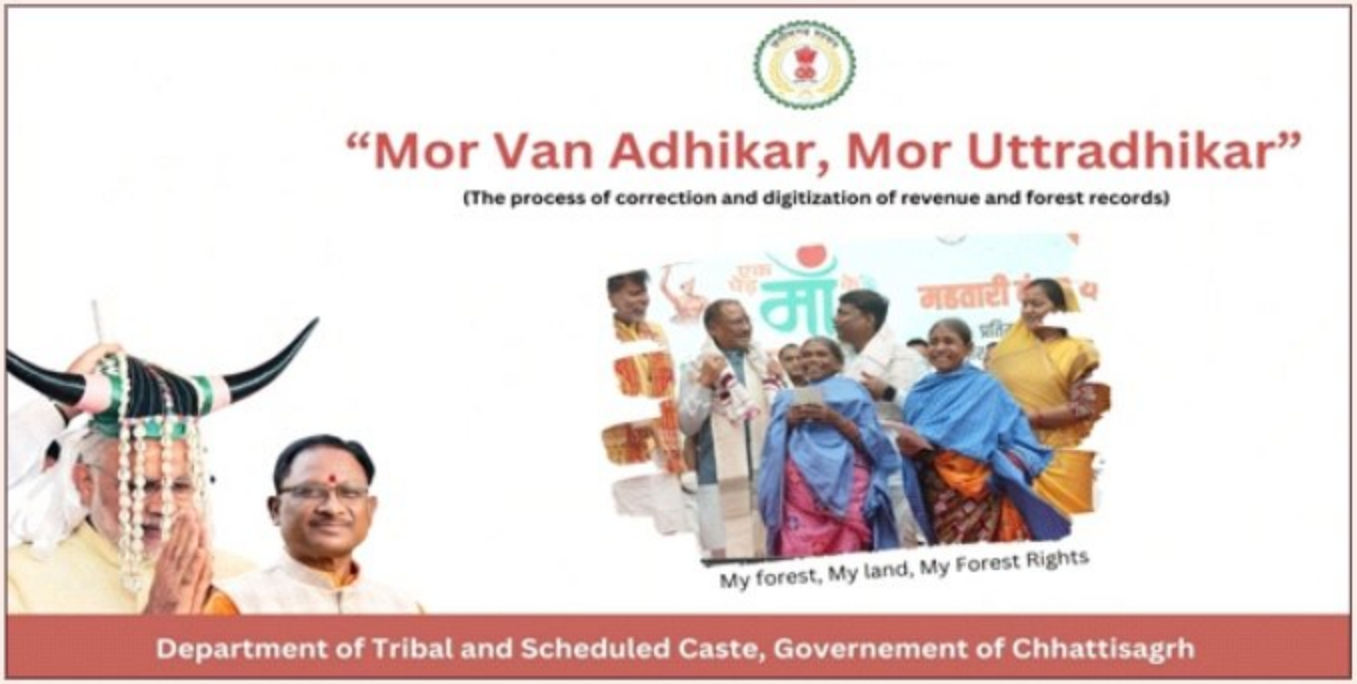

श्रेष्ठ प्रणाली का विवरण

{Description of Best Practice}

उपक्रम का उद्देश्य

Objective of the Initiative

वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा काबिज पैतृक भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता प्रदाय करना एवं पत्रधारकों के अभिलेख दुरुस्तीकरण एवं डिजिटलाईजेशन, नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन संबंधी व्यवस्था सुगमता से उपलब्धकराना

उपक्रम अंतर्गत पात्रता

Eligibility under the Initiative

वनों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 अनुसार पात्रता रखते हैं

(9) ''सफलता की कहानी''

अनुसूचित जनजाति महिला सशक्तिकरण योजना

श्रीमति शांति सिंह पति श्री अक्षय सिंह ग्राम पो0 देवनगर जाति गोड़ उम्र 30 को अनुसूचित जनजाति महिला सशक्तिकरण योजनान्तर्गत सिलाई दुकान हेतु ऋण राशि रूपये 1,000,00/– (एक लाख रूपये) वर्ष 2017–18 में प्रदाय किया गया है इनकी मासिक किस्त रूपये 1868/– रूपये है हितग्राही को ऋण वितरण के पहले मासिक आय रूपये 6,000/– थी और ऋण प्राप्ति के पश्चात् वर्तमान में मासिक आय रूपये 15,000/– हो गयी है। साथ ही इन्होने एक कर्मचारी को भी अपनी मदद हेतु कार्य पर रखा है । इनके द्वारा दुकान का विस्तार सिलाई कटिंग के साथ मनिहारी मेंचिंग सेन्टर तक कर लिया है और वे सम्मान के साथ अपना कार्य कर रही है, जिसके लिए हितग्राही द्वारा जिला अंन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति सूरजपुर के अधिकारी/कर्मचारियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद के साथ आभार व्यक्त किया गया है।

- **दिल्ली में आयोजित मॉडल यूथ ग्राम सभा में कोसमगुड़ा एकलव्य विद्यालय, गरियाबंद के युवाओं को मिला प्रथम पुरस्कार देशभर के 800 से अधिक स्कूलों के बीच छत्तीसगढ़ की टीम ने हासिल किया प्रथम स्थान**

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि गरियाबंद जिले के जनपद पंचायत अंतर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोसमबुड़ा की टीम ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मॉडल यूथ ग्राम सभा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर के 800 से अधिक विद्यालयों की सहभागिता रही। एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को इस सफलता के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विजेता छात्रों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं की क्षमता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है। उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा ने विद्यार्थियों से सौजन्य मुलाकात कर शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता है। विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की कार्यप्रणाली, ग्रामीण समस्याओं की पहचान एवं उनके समाधान प्रस्तुत कर अपनी उत्कृष्ट समझ का परिचय दिया है।

आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने भी इस उपलब्धि को जनजातीय अंचलों में शिक्षा के सशक्तिकरण का सकारात्मक परिणाम बताया। वहीं आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे भविष्य के जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण की दिशा में प्रेरणादायक बताया।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के अंतर्गत छात्रों द्वारा मॉक ग्राम सभा सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, निर्णय–प्रक्रिया तथा स्थानीय समस्याओं पर व्यावहारिक चर्चा की गई। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोसमबुड़ा की टीम ने इन विषयों पर गहन समझ और प्रभावी प्रस्तुति दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विजेता दल को प्रशस्ति पत्र के साथ संस्थान के विकास हेतु एक करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है।

देश भर से शॉर्टलिस्ट की गई शीर्ष 6 टीमों में ईएमआरएस कोसमबुड़ा ने ग्राम सभा के संचालन में अनुशासन और स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। 28 जनवरी को हुआ यह सम्मान समारोह लोकतंत्र के इन युवा राजदूतों की उपलब्धि का उत्सव मनाएगा, जो भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने तथा विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के उद्देश्य से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 10 कन्या, 06 बालक एवं 59 संयुक्त, इस प्रकार कुल 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है।

• एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से अध्ययनरत कु. चंचल पैकरा का डिप्टी कलेक्टर हेतु चयन

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना, जिला–जशपुर से शिक्षण सत्र 2018–19 में उत्तीर्ण विद्यार्थी कुमारी चंचल पैकरा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 की भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुई है।

(10) सीखो सिखाओं अंजोर फैलाओं

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचारों में एक महत्वपूर्ण नवाचार प्रोजेक्ट संकल्प अंतर्गत ''सीखो सिखाओ अंजोर फैलाओं'' कार्यक्रम है। इस पहल के अंतर्गत छात्रावासों में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक अध्ययन के साथ–साथ रचनात्मक गतिविधियों, अनुशासन, जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्र–छात्राओं को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण भोजन, नियमित शैक्षणिक सहयोग तथा खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें हैदराबाद के सुप्रसिद्ध प्रेरक वक्ता श्री नंद जी द्वारा निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं –

1. सहायक आयुक्त
2. छात्रावास अधीक्षक एवं
3. बच्चे

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा द्वारा स्वयं इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा इस हेतु आयोजित कार्यशाला में शामिल होकर तथा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट संकल्प के प्रथम चरण के अंतर्गत 16 से 18 अक्टूबर 2025 को रायपुर में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के साथ एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इसमें छात्रावास–आश्रमों से जुड़ी सामान्य एवं व्यवहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई एवं उनके सकारात्मक सरल एवं प्रभावी निदान श्री नंद जी द्वारा बताए गए। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के मानसिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास को लेकर उपयोगी सुझाव साझा किए गए।

इसी कड़ी में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास–आश्रमों के अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर श्री बोरा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि "एक छोटी–सी सकारात्मक पहल भी बच्चों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है।

उल्लेखनीय है कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावास–आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। विभागीय मंत्री जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर छात्रावास–आश्रमों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है, ताकि बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न रहे।आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में प्रारंभ किए गए 'प्रोजेक्ट संकल्प' के माध्यम से आश्रम छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे बच्चों का भविष्य संवर रहा है। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि जिस प्रकार छोटा बीज बड़े वृक्ष का आधार बनता है उसी प्रकार एक छोटी सकारात्मक पहल समाज में क्रांति ला सकती है। यदि विद्यार्थी को प्रारंभ से ही उच्च आदर्शों पर आधारित शिक्षा प्राप्त होगी तो वह आगे चलकर समाज एवं राष्ट्र में अपना सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट संकल्प'' इसी कड़ी में '' एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान श्री नंद जी ने छात्रावास अधीक्षकों को छात्रावास–आश्रमों में सकारात्मक सोच विकसित करने के सामान्य, परंतु प्रभावी तरीके बताएं। उन्होंने बच्चों को अनुशासन में रखने, उनमें अच्छी आदतें विकसित करने, अपने कार्य पर पूर्ण फोकस करने, समय का महत्व समझने, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, नियमित व्यायाम करने, स्वयं भी खुश रहने एवं अपने सहपाठियों को भी खुश रखने तथा सबके साथ अच्छे मधुर संबंध बनाने के गुर बताए। प्रोजेक्ट संकल्प के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों से अब छात्रावासों में रह रहे बच्चों में नया उत्साह एवं आत्मविश्वास पैदा हुआ है। अब वे आगे बढ़ते हुए न केवल शैक्षणिक उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं, बल्कि जीवन के रंग और खुशियाँ भी सीख रहे हैं। शिक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक बच्चों को सीखने–सिखाने की संस्कृति से जोड़ते हुए उन्हें समाज का जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

आदिम जाति विकास विभाग का यह प्रयास विशेष रूप से दूरस्थ और आदिवासी अंचलों के बच्चों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। इस अभिनव पहल से शिक्षा को संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ जोड़ने से छात्रावास भी बच्चों के खुशहाल जीवन की मजबूत नींव बन रहा हैं। ❑❑❑❑❑

भाग - दस

अध्याय - 27
सारांश

छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू–भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग इनकी शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जनजाति वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ट संस्थाओं के रूप में क्रीड़ा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिज्ञ होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। विभिन्न शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें, जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना

क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ–साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनुसूचित वर्गो की अस्मिता तथा सम्मान के प्रति विभाग प्रारंभ से ही सजग रहा है। इसी के फलस्वरूप सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश से अमर शहीद स्वत्रंता सेनानी वीर नारायण सिंह की पावन स्मृति में प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को दर्शाने हेतु स्मारक सह संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। इसके प्रारंभ होने से प्रदेश के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरगाथा तथा त्याग/बलिदान से आमजनता तथा भावी पीढ़ियां परिचित एवं प्रेरित हो सकेंगी।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर–तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेषी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

❑❑❑❑❑

वीर नारायण सिंह

छात्रावास कन्या क्रीड़ा परिसर
आदिवासी विकास विभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

VISIT US

https://x.com/TribalCgGov?s=08
https://www.facebook.com/share/15JsAVzB2r/
https://youtube.com/@cgtribalgov?si=GeHFLViscvVYzb9u
https://www.instagram.com/cg.tribalgov/profilecard/?igsh=eG1yaTFyamRjaG5p